खण्ड-217, अंक-7
गुरूवार, 14 आश्विन, शक संवत् 1882
(6 अक्टूबर, 1960 ई0)

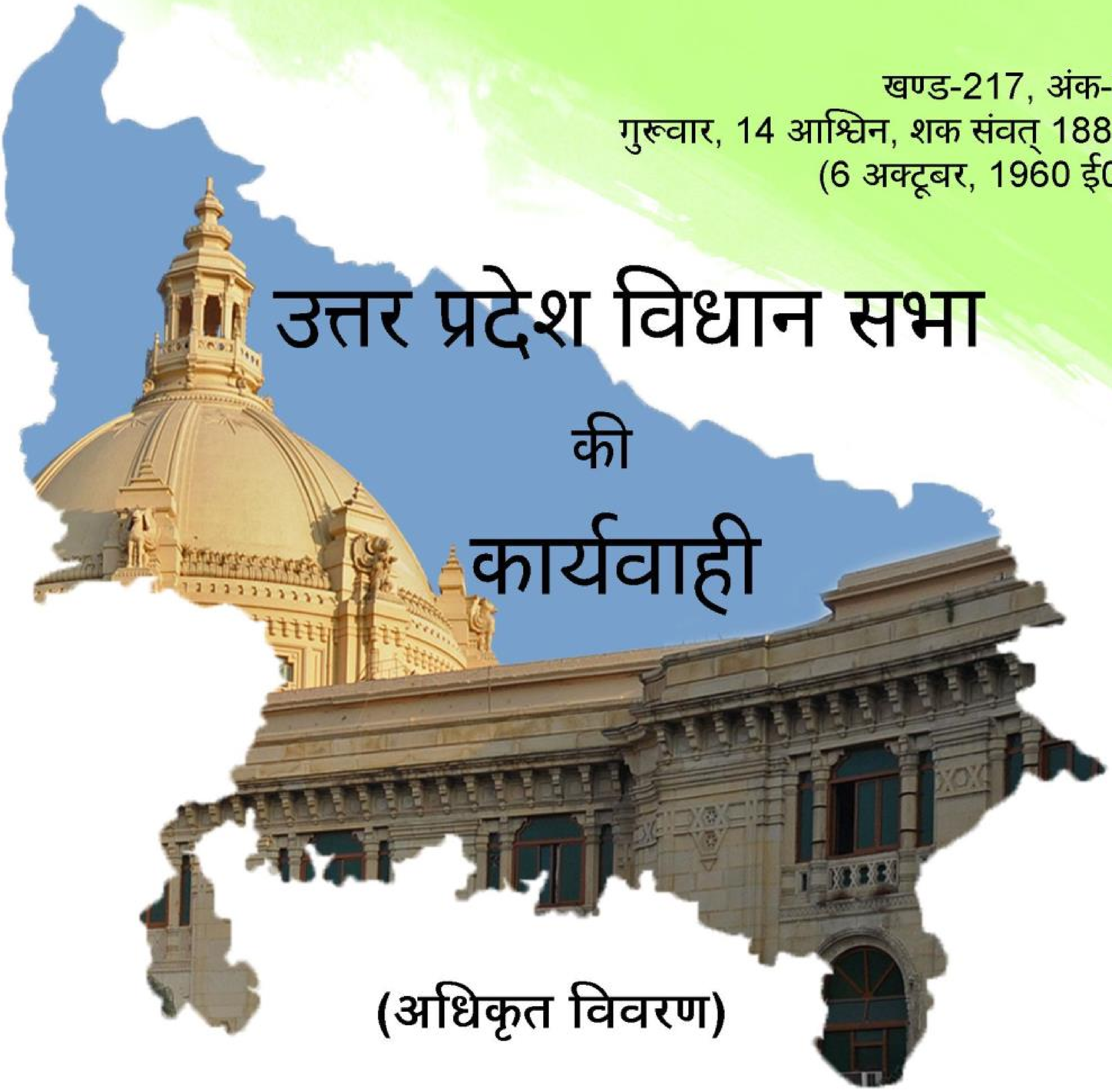

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 217 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६३९–६४३
प्रश्नोत्तर	६४३–६७६
समाचार-पत्रों में प्रकाशित मुख्य मंत्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	६७६
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	६७७
उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था विधि संशोधन विधेयक, १९६० (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया)	६७७
कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९६० (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	६७७
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६७७
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६७७
मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	६७८
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाँ (उपस्थित करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	६७८
फीरोजाबाद में रामलीला के जुलूस पर बम फेंकने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	६७९
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के सम्बन्ध में जानकारी ..	७७९
मुख्य मंत्री के वि द्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना ..	६७९–६८०
ग्राम नाहिल, जिला शाहजहांपुर में दो चमारों की हत्या से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६८०–६८२
भावी कार्यक्रम के बारे में जानकारी	६८२–६८३
२८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न ७८ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	६८३
हरकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	६८३–६८४
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० (पुरःस्थापित किया गया) ..	६८४
उत्तर प्रदेश इवेकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६० (पुरःस्थापित किया गया)	६८४
उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की नियम समिति (१९६०–६१) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर विचार (जारी)	६८५–६८६
इन्टरमीडिएट एजुकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अधीन प्रख्यापित विनियमों में संशोधन	६८७
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६० (प्रस्ताव पर, कि विधेयक पर विचार किया जाय, विवाद जारी)	६८७–६८९
नत्थियां	६९०–७१५

LIBRARY DEC 1960 PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ६ अक्तूबर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार सिनहा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीशास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दराम, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री

नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगीतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनायसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती

राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन, श्री,
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)

श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ६ अक्तूबर, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालोजी विभाग में सामान की खरीदारी में गड़बड़ी

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या न्याय मंत्री २६-८-६० के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान पैथालोजी विभाग के सन् १९५८-५९ के बिलों के भुगतान का लेखा जोखा सम्बन्धी श्री निसार अहमद, सीनियर आडिटर, लोकल फण्ड एकाउन्ट्स की दिसम्बर, सन् १९५९ एवं जनवरी, सन् १९६० की रिपोर्ट की ओर गया है जिसमें कि शम्भूनाथ एन्ड सन्स, मेकेनिक और आर्डर सप्लायर्स, बाबूगंज, कुर्सी पाठशाला के पास, लखनऊ, के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की शंकायें प्रकट की गई हैं ?

**२—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिटर लोकल फण्ड एकाउन्ट्स ने श्री शम्भूनाथ के टेंडर पर डाक्टर एस० पी० गुप्ता, रीडर, द्वारा डाक्टर शरद कुमार को जो पत्र लिखा था उसके सम्बन्ध में क्या राय जाहिर की है ?

**३—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिटर ने यह नहीं लिखा है कि श्री शम्भूनाथ एन्ड सन्स द्वारा सप्लाई केवल मेडिकल कालेज के पैथालोजी एवं सोशल और प्रोवेन्टिव विभाग में ही क्यों हुई है विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में क्यों नहीं हुई है ?

**४—क्या न्याय न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिटर ने यह भी रिपोर्ट दी है कि शम्भूनाथ एन्ड सन्स ने १९५८-५९ में १२ हजार रुपये से अधिक का माल मेडिकल कालेज के पैथालोजी विभाग में बेचा है फिर भी वे सेल टैक्स से बरी हैं ?

**५—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिटर ने आपत्ति नं० १४७ पैथालोजी विभाग के सम्बन्ध में आडिट रिपोर्ट में क्या लिखा है ?

**६—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गौरी शंकर राय के उल्लिखित मेडिकल कालेज के पैथालोजी विभाग में काम करने वाले दो कर्मचारी कब और क्यों मुअत्तल किये गये और उन्हें चार्जशीट कब और क्यों दी गयी तथा मुअत्तली के समय का वेतन क्यों नहीं दिया गया ?

**७—क्या न्याय मंत्री श्री गौरीशंकर राय के पत्र में उल्लिखित डाक्टर एस०पी० गुप्ता, डाक्टर एन० पी० गुप्ता और शम्भूनाथ एण्ड सन्स के बैंक के हिसाब की जांच करायेंगे, जिससे उक्त सज्जनों के हिसाब की पूरी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके ?

**८—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शम्भूनाथ एन्ड सन्स को आडिटर की रिपोर्ट के बाद आर्डर देना बन्द कर दिया गया है और एक नई फर्म श्री सुरेश चन्द्र राम आसरे नाम से खोल दी गई है जिसमें श्री शम्भूनाथ के नौकर श्री सलीम पार्टनर की हैसियत से हस्ताक्षर करते हैं और उक्त फर्म को गोश्त सब्जी आदि के आर्डर दिये जा रहे हैं ?

**९—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंगजार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालोजी एवं वैक्टिरयालोजी विभाग में सन् १९५२ से लेकर फरवरी, सन् १९६० तक श्री शम्भूनाथ, श्री शतीशचन्द्र, श्री शतीशचन्द्र शम्भूनाथ और श्री शम्भूनाथ एन्ड सन्स फर्मों के नाम से कितने रुपये के सामानों के टेन्डर स्वीकार किये गये और लिये गये ?

**१०—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ में एक फर्म श्री आर० डी० गुप्ता एन्ड सन्स ने विश्वविद्यालय में शिकायत की कि श्री शम्भूनाथ डाक्टर एस० पी० गुप्ता के नौकर हैं इसी कारण उन्हीं का टेन्डर किसी न किसी प्रकार से स्वीकार किया जाता है तथा विश्वविद्यालय के एकाउन्ट आफिसर श्री मथुराप्रसाद ने तत्कालीन प्रिंसिपल को इस विषय में कोई पत्र भी लिखा था ?

**११—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६ तक अमरीका जाने के पूर्व डाक्टर एस० पी० गुप्ता ही पैथालोजी विभाग की खरीदारी का काम देखते थे तथा वापस आने पर भी उन्हीं का दखल है ?

**१२—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिटर की रिपोर्ट १-२-६० को विश्वविद्यालय के अधिकारियों को प्राप्त हो गई थी ? यदि हां, तो उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं करने का कारण क्या है ?

**१३—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शतीशचन्द्र गुप्ता मेडिकल कालेज के पैथालोजी एवं वैक्टिरयालोजी विभाग में नौकर हैं और फर्म शतीशचन्द्र शम्भूनाथ के साझेदार हैं ?

**१४—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शतीशचन्द्र गुप्ता ने ५-१२-१९५५ को डाक्टर मांगलिक से फर्म शतीशचन्द्र शम्भूनाथ के नाम से बैंक में करेन्ट एकाउन्ट खोलने हेतु आज्ञा क्यों मांगी ?

**१५—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर एन० पी० गुप्ता द्वारा प्राप्त ७-१२-१९५५ का ८७९९३६ नम्बर चेक किसके नाम से दिया गया था और किसने भुनाया है?

**१६—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शतीशचन्द्र गुप्ता ने डाक्टर एन० पी० गुप्ता से अपने निजी काम के लिये लिये हुये ५०० रुपये के कर्ज का भुगतान फर्म श्री शतीशचन्द्र शम्भूनाथ से क्यों कराया ?

**१७—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय ने ७-८-६० को उपसचिव, स्वास्थ्य विभाग श्री के० सी० जोशी को इस आशय का पत्र लिखा है कि उपकुलपति को अभी तक पैथालोजी विभाग के लिपिकों की मुअत्तली आदि का कागज नहीं दिया गया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--यह सभी प्रश्न श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १, जो कि विधान सभा में २६-८-६० को पूछा गया था, से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति से मांगी गई है जैसा कि विधान सभा में २६-८-६० को बता चुका हूं। आवश्यक सामग्री मिलने पर ही इन प्रश्नों के उत्तर दिये जा सकेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इतनी देर होने का कारण क्या है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--यह तो कारण उपकुलपति ही बतला सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस दिन २६-८-६० को ये सवाल किये गये और माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि ये सब सवाल दे दिये जायं और न्याय मंत्री से कहा कि वे जल्दी से जल्दी हाउस में उत्तर दें और माननीय राजस्व मंत्री ने हाउस में उत्तर दे दिया कि शीघ्रता वे करेंगे तो यह कहने का अर्थ क्या है कि इसका उत्तर माननीय उपकुलपति देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमने उनको रिमांइडर भी भेजे हैं। उनसे फोन पर कांटैक्ट करने की कोशिश की लेकिन वे मिल नहीं सके। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी आ जाय तो हम जवाब दे दें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या कोई ऐसा अनुमानित पीरियड है जिसके अन्दर उनका जवाब आ जाने की आशा है और जवाब आ जाने पर क्या एक-एक प्रति सदस्यों को देने की कृपा की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सबको बांटी जाय या न बांटी जाय, लेकिन सदन की मेज पर रख देंगे।

लखनऊ तथा कानपुर जिलों में किसानों से अल्पबचत धन वसूल करने की शिकायत

****१८--श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ)--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ और कानपुर जिले से उन्हें यह शिकायत मिली है कि वर्तमान सीजन में मालगुजारी के साथ मालगुजारी के अलावा अल्पबचत योजना के नाम से ज्यादा रकम भी अमीन वसूल कर रहे हैं जिसकी कोई रसीद भी यह काश्तकारों को नहीं देते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

श्री रामशरण यादव--क्या माननीय मंत्री मेरी इस सूचना को सूचना मान कर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बाकायदा नोटिस मिलने पर जरूर जांच करायेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या यह बात सही है कि इस अल्पबचत योजना के सिलसिले में लेखपालों से उनकी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा पहले ही काट लिया जाता है जब कि वे अपने दौरे के लिये भेजे जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

लखनऊ मेडिकल कालेज में एक रोगी बच्चे के साथ कथित असावधानी

****१९--श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत ३ सितम्बर, को डायरिया से घोर पीड़ित एक बच्चा लखनऊ मेडिकल कालेज के इमरजेन्सी

वार्ड में २ बजे अपराह्न में भरती किया गया और ४।। बजे शाम तक कोई डाक्टर उसे देखने तक नहीं आया और तब मरणासन्न अवस्था में बच्चे के अभिभावक उस बच्चे को ५ बजे शाम को विवश होकर अस्पताल से अपने घर वापस ले गये और ले जाते समय किसी अस्पताल-कर्मचारी अथवा अधिकारी ने रोका भी नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--बच्चे का नाम तथा कोई पता न होने के कारण यह कहना सम्भव नहीं है कि किस रोगी के विषय में यह प्रश्न किया गया है।

२०--श्री झारखंडेराय**--यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह प्रश्न नहीं उठता।

वेतन बढ़ोत्तरी

२१--श्री गौरीशंकर राय**--क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को ५ रुपया प्रतिमाह अधिक देने की घोषणा जो इस वर्ष राज्यपाल महोदय ने की वह अभी कार्यान्वित हुई या नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--राज्यपाल महोदय की घोषणा कार्यान्वित हो गई है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि ५ रुपये की बढ़ोत्तरी की घोषणा राज्यपाल महोदय ने की थी तो जैसा उन्होंने कहा कि कार्यान्वित हो गई है इसका क्या अर्थ है जब कि आज तक यह बढ़ोत्तरी मिल नहीं रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे, हमको सप्लीमेंटरी बजट में इसको लाना था, उसमें हम लाये। फिर सितम्बर की २३ तारीख को उसकी सेंक्शन हुई। पहली अक्तूबर से वह लागू कर दी गयी है। अब पहली अप्रैल की तनख्वाह मई में मिलेगी। उस तारीख को बकिया मिल जायगा और आइंदा मिलता रहेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ५ रुपये प्रति मास दिये जाने की घोषणा की गयी थी वह स्वायत्त शासन के कर्मचारियों पर भी लागू होगी जैसा कि पहले हो चुका है ?

श्री सैयद अली जहीर--मुझे तफसील तो नहीं याद है लेकिन मेरा खयाल है कि शायद उनको भी मिलेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह ५ रुपया मंहगाई उन कर्मचारियों को भी देने का विचार सरकार रखती है जिनको १०० रुपये से ज्यादा और ४५० रुपये से कम तनख्वाह मिलती है लेकिन जिनको पहले ५ रुपये का इन्क्रीमेंट मिल चुका था ?

श्री सैयद अली जहीर--यह सवाल तो आज ही है ३० और ३२ नम्बर पर, और उसमें मैं इसकी तफसील बतलाऊंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहली अक्तूबर से जब यह लागू कर दिया गया है तो सितम्बर तक का उनका जितना बकाया है वह कुल अक्तूबर में उनको मिल जायगा या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरा खयाल है कि मिल ही जायगा।

ग्रामीण गृह निर्माण योजना

२२--श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि गांवों में कम आमदनी वाले व्यक्तियों को प्रति मकान दो हजार रुपया भवन

निर्माण के लिये ऋण देने की योजना पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच हाल में कोई पत्र व्यवहार हुआ है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी हां।

****२३—श्री रामदुलारे मिश्र**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री उपरोक्त योजना तथा कथित पत्र व्यवहार पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ग्रामीण गृह-निर्माण योजना, जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामों का विकास तथा ग्रामीण गृह समस्या को सुलझाना है, के अन्तर्गत चुने हुए ग्रामों में गृह-निर्माण के इच्छुक ग्राम वासियों को १,५०० रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इतना ही धन मकान बनाने वाले को अपने पास से नकद अथवा बनाने की सामग्री अथवा श्रम के रूप में लगाना होता है। चौथी हाउसिंग मिनिस्टर्स कानफ्रेंस, जो सन् १९५९ में हुई थी, के लिये राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिये थे कि अधिकतम धनराशि उन गांवों के लिये ३,००० रुपये कर दी जाय जो १ लाख से अधिक आबादी वाले शहर के ५ मील के अन्दर हों और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि १,५०० रुपये की अधिकतम सीमा (ceiling) कम नहीं की जानी चाहिये।

उक्त कान्फ्रेंस ने यह सिफारिश की कि ऋण की अधिकतम धनराशि २,५०० रुपये या मकान की अनुमानित लागत का ५० प्रतिशत जो भी कम हो कर दी जाय। इस सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया है कि मकान की अनुमानित लागत का ६६ २/३ प्रतिशत ऋण इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाय कि ऋण की अधिकतम सीमा २,००० रुपये से अधिक न हो। राज्य सरकार उक्त निर्णय को अपनाने की कार्यवाही कर रही है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना किन-किन जिलों में किस हद तक कार्यान्वित हो रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह आदेश चले गये हैं और वित्त विभाग के विचारार्थ यह चला गया है कि वे इसके ऊपर कार्य करने की इजाजत दे दें ताकि गवर्नमेंट उस पर ऐक्शन ले।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेश कब भेजे गये और वित्त विभाग की स्वीकृति कब तक मिल जाने की सम्भावना है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बहुत शीघ्र आशा की जाती है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह लोन नकदी की शक्ल में दिया जायगा या मकान बनाने के सामान की शक्ल में दिया जायगा?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह तो मकान की लागत के सिलसिले में है। वह चाहे जिस तरह से खर्च करें, कुल लागत का इतना मिलेगा यह है इसमें।

श्री अध्यक्ष—वह जानना चाहते हैं कि यह आप मैटीरियल की शक्ल में देंगे या रुपया देंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैटीरियल के रूप में नहीं देंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पत्र-व्यवहार के फलस्वरूप जो सहायता दी जाने वाली है यह उन क्षेत्रों में ही दी जाने वाली है जो कि विशेष तौर से नोटिफाइड एरिया के बारे में नियम लागू किया गया है या उसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों को दी जाने वाली है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह तो उत्तर में कहा गया है कि जो एक लाख बस्ती के शहर हैं उनके पांच मील के रेडियस में मिलेगी।

सचिवालय में ३ वर्ष से अधिक से काम करने वाले सेक्रेटरीज तथा डिप्टी सेक्रेटरीज

२४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)—क्या मुख्य मंत्री दिनांक १० मार्च, १९६० के प्रश्न संख्या ९३ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित ६ सेक्रेट्रीज और १३ डिप्टी सेक्रेटरीज लगभग कितने वर्षों से सरकारी सचिवालय में ही हैं और वे किन-किन विभागों में किन-किन पदों पर काम करते रहे हैं?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—वांछित सूचना संलग्न सूचियों में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९०-६९२ पर)

२५—श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जो सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज लगातार तीन वर्षों से अधिक समय से सचिवालय में ही कार्य कर रहे हैं उनमें कितने आई० ए० एस० तथा कितने पी० सी० एस० हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—आई० सी० एस०/आई० ए० एस० १० हैं तथा पी० सी० एस० ४ हैं। शेष ५ हायर जुडिशियल सर्विस के हैं।

२६—श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सेक्रेटरीज एवं डिप्टी सेक्रेटरीज में कितने ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण सचिवालय के अन्दर ही ३ साल से अधिक समय से नहीं हुआ और वे अपने उसी पद पर तीन साल से अधिक समय से बराबर कार्य कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—इनकी संख्या १२ है। इनके नाम संलग्न सूची (क) में क्रम संख्या १ पर तथा सूची (ख) में क्रम संख्या १ से ५, ७ से ९ और ११ से १३ पर दिये हुए हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज हैं जो करीब-करीब १२ साल से या ४-५ साल से सचिवालय में काम कर रहे हैं? उनके ऊपर वह नियम लागू नहीं होता है जो सरकारी अधिकारियों के लिये है कि वह एक जगह तीन साल से ज्यादा काम नहीं कर सकते?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, शासन की यह नीति है कि जिले में जो अधिकारी हैं उनको एक जगह ३-४ साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिये क्योंकि उनका स्थानीय लोगों से सम्पर्क कायम हो जाता है, लेकिन सचिवालय में इसको रिजिडली चालू करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। यहां पर विशेष प्रकार का कार्य होता है और जिनका विशेष अनुभव हुआ करता है उन्हीं को कुछ ज्यादा दिन रखा जाता है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री आर० एस० दास, आई० ए० एस०, सचिव, सहायता तथा पुनर्वास विभाग के पद पर १-६-४८ से कार्य कर रहे हैं और श्री भरतनारायण, आई० ए० एस० २४-५-५१ से उप सचिव, वित्त विभाग के स्थान पर काम कर रहे हैं? क्या सरकार समझती है कि इन लोगों को हटाने के पश्चात् कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इस कार्य को कर सके?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह तो सही है कि श्री आर० एस० दास यहां पर रिहेबिलिटेशन सेक्रेटरी के पद पर १-६-४८ से कार्य कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर श्री मेहरचन्द खन्ना ने दोबारा मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था कि श्री दास को ही इस स्थान पर रखा जाय क्योंकि रिहेबिलिटेशन का काम ऐसा है जिसकी

कंटीनुइटी है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति रखा जायगा तो कंटीनुइटी कायम नहीं रह सकेगी। इसलिये इनको इस स्थान पर रखा गया है। श्री भरतनारायण जी वित्त विभाग के उप सचिव के स्थान पर १९५१ से काम कर रहे हैं। फाईनेन्स डिपार्टमेंट का काम एक विशेष प्रकार का है जिसको हर आदमी नहीं कर सकता है और शासन की यह राय है कि इस स्थान पर भरतनारायण जी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और उनको ही इस स्थान पर रखना उचित है।

सचिवालय में सहायकों की भर्ती

२७—श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सचिवालय के अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन सहायकों के पदों के लिये विभिन्न विभागों में १ जुलाई, १९६० से १२ सितम्बर, १९६० तक कितनी नियुक्तियां की गयी हैं और किस आधार पर ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—सचिवालय में अपर डिवीजन सहायकों की भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा ही की जाती है। १ जुलाई से १२ सितम्बर तक कोई नियुक्तियां नहीं हुई। अस्थायी पदों पर तथा स्थानापन्न प्रबन्धों में केवल लोअर डिवीजन सहायकों को पदोन्नति दी जाती है। बाहर से कोई नियुक्ति नहीं होती।

लोअर डिवीजन सहायकों के पदों के लिये भी भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा ही की जाती है। परन्तु शार्ट टर्म तथा लीव वैकेंसीज के लिये सचिवालय प्रशासन विभाग (अधिष्ठान) द्वारा उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है जो graduate होते हैं, आयुसीमा के अन्दर रहते हैं और typewriting भी जानते हैं। १ जुलाई, १९६०, से १२ सितम्बर, १९६०, तक इस प्रकार कुल ३८ अभ्यर्थी नियुक्त किये गये हैं। ज्यों ही vacancies समाप्त हो जायेंगी इन लोगों को हटा दिया जायगा।

चीनी मिलों का चालू किया जाना

२८—श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश की कौन चीनी मिल किस तारीख से चलने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—वर्तमान सीजन में गन्ने की अधिकाई के कारण सरकार चीनी मिलों के जल्दी चलने के लिये प्रयत्नशील है लेकिन कौन मिल कब से चलेगी इसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

२९—श्री गेंदासिंह**—क्या यह सही है कि अभी कुछ दिन पहले उप मन्त्री, उद्योग ने इंडियन शुगर मिल एसोशियेशन के प्रतिनिधियों से बात की थी ? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में बातें हुई थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। निम्नलिखित विषय पर बातें हुई थीं :—

(१) चीनी मिलों का जल्दी चलना।
(२) मोलैसेज के स्टोरेज का प्रबन्ध करना।
(३) सेस व गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस साल पिछले साल से कितना गन्ना ज्यादा है जिसके लिये प्रबन्ध किया जा रहा है कि मिलें जल्दी चालू हो जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव—पिछले वर्ष गन्ना १९.२७ लाख एकड़ था और इस साल २२.६८ लाख एकड़ है और जल्दी मिल चलाकर ज्यादा शुगर पैदा की जा सकती है। इसलिये ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि मिलें जल्दी चालू हो जायं।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में अब तक निश्चित आंकड़े उपलब्ध हो गये हों तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्दाजा है और सरकार किस समय से मिल चलवाना

चाहती है और पिछले साल जिस समय से चली थीं अगर उसी समय से मिलें इस साल भी चलें तो जून से ज्यादा चलने का डर तो नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि इस साल गन्ना ज्यादा है और सब पेरा जायगा तो ज्यादा समय लगेगा। इसलिये सरकार की इच्छा है कि मिलें जितनी जल्दी चलेंगी उतनी ही ज्यादा गन्ने की खपत होगी और चीनी बनेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १७ सितम्बर के मेरे प्रस्ताव पर माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि २५ अक्तूबर तक तराई के पांचों जिलों में मिलें जल्दी चलाई जायेंगी, इसके लिये क्या किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वायदे का इस समय मेरे सामने कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन यह सही है कि सरकार प्रयत्नशील है और हमने उनसे भी कहा है और उसके लिये एक कमेटी भी बन गई है, जो बातचीत करती है, ताकि मिलें जल्दी चलें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जल्दी मिलें चलाने के लिये सरकार ने कौन-कौन से प्रयत्न किये हैं और उसके सम्बन्ध में क्या मिल मालिकों से वार्ता हुई है ? यदि हां, तो वार्ता करके वह किस नतीजे पर पहुंची है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इंडियन शुगर मिल्स एसोसियेशन के लिये जो कमेटी है, वह मिलती रहती है, उद्योग विभाग के अधिकारियों से और उप मंत्री जी सम्बन्धित हैं उनसे बात होती रहती है। वह अपनी दिक्कतें बताते हैं। सरकार की ओर से कहा जाता है कि दिक्कतों में सहायता करने की कोशिश की जायगी और मिलें जल्दी चलेंगी।

श्री गेंदासिंह—इंडियन शुगर मिल्स एसोशियेशन ने मिलों के जल्दी चलाने में क्या कठिनाइयां सरकार के सामने रखीं, इस पर कुछ बतलाना मुमकिन है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अब यह तो माननीय सदस्य महोदय को भी ज्ञात होगा कि जो पहले गन्ना आता है उसकी रिकवरी कम होती है इसलिये रिकवरी कम होने की वजह से वे मिलें देर से चलाने की कोशिश करते हैं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—सरकार जो मिलों को जल्दी चलाना चाहती है इस इच्छा को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कोई आदेश मिल मालिकों को देगी ? यदि नहीं, तो आदेश देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैं समझता हूं कि शायद आदेश नहीं दे सकती कि मिलें जल्दी चलें। इसीलिये सरकार आदेश नहीं देती।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार जब रिकवरी के सम्बन्ध में मिल मालिकों का इस बात का ध्यान रखती है कि रिकवरी कम होती है, इसलिये पहले नहीं चलाना चाहते, इसी तरह से ज्यादा दिनों तक किसानों का गन्ना न लेने के कारण, गन्ना सूख जाने से जो किसानों का नुकसान होता है, उसका भी ध्यान रखती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हां, यही खयाल है। इसी वजह से कहते हैं कि जल्दी मिलें चलाएं ताकि गन्ना सूखने से किसानों का नुकसान न हो।

१९५९ में बढ़ा मंहगाई भत्ता पाने वालों को नया महंगाई भत्ता न मिलना

****३०—श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्यपाल के गत जुलाई के अभिभाषण के समय जो ५ रु० मंहगाई भत्ता १०१ रु० से ४५० रु० तक वेतन

पाने वाले कर्मचारियों को दिया गया है उसे उन कर्मचारियों को न देने का क्या कारण है जिनको सन् १९५७ या १९५९ के बजट में ५ रु० मंहगाई के रूप में दिया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर—यह आवश्यक नहीं समझा गया कि मंहगाई भत्ते में कोई वृद्धि उन कर्मचारियों को दी जाय जो केवल एक वर्ष पूर्व सन् १९५९ में ५ रु० प्रति मास की मंहगाई भत्ते में वृद्धि पा चुके हैं।

****३१—श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार वर्तमान मंहगाई को देखते हुए उन कर्मचारियों को भी, जिनको राज्यपाल ने उक्त अभिभाषण के समय किसी प्रकार की मंहगाई या वेतन वृद्धि नहीं दी है, ५ रु० मंहगाई देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब से ?

श्री सैयद अली जहीर—नहीं।

****३२—श्री नारायणदत्त तिवारी**—यदि नहीं, तो क्या सरकार यह अनुभव करते हुए कि मंहगाई से सब कर्मचारी समान रूप से प्रभावित हैं और सब की आवश्यकतायें भी समान हैं इन कर्मचारियों को कोई अन्य प्रकार की सुविधायें देने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसा कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि १९५७ में जिनको मंहगाई भत्ता दिया गया उनको मंहगाई भत्ता दिया जायगा या नहीं क्योंकि मेरे प्रश्न में १९५७ का स्पष्ट उल्लेख है ?

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मैं जरा तफसील से बतला दूं कि क्या किया गया है। कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी ५० रुपये तक तनख्वाह है। इन लोगों को ३ इनक्रीमेन्ट्स मिल चुके हैं एक ५ रुपये का, एक ढाई रुपये का और एक साढ़े ५ रुपये का। उसके बाद कुछ हैं जिनकी तनख्वाह ६९ रुपये तक है उनको ३५ रुपये का इनक्रीमेन्ट मिल चुका है। उसके बाद जो ७० रुपये से लेकर १०० रु० तक के थे उनको ३० रुपये पहले थे उसको बढ़ा कर ३५ कर दिया गया। लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो १०१ से १५०, १५१ से १६५ और १६६ से १६९ तक के हैं, जिन में मार्जिनल ऐडजस्टमेन्ट हुआ है, उनको १९५९ तक इक्रीमेन्ट मिला है लेकिन १९६० में इनक्रीमेन्ट नहीं दिया गया। उनका इनक्रीमेन्ट ३५ रुपये है। उसके बाद १६६ रुपये से १६९ रुपये के हैं। इनको गोया ४० रुपये तक इन्क्रीमेन्ट इस वक्त मिल रहा है जब तक कि उनका वेतन २०५ न हो जाय। उसके बाद १७० से ४५० तक के जो हैं उनको ३५ मिलता था। वह बढ़ाकर के ४० हो गया है। इसी तरह से ४५१ से ४८४ तक जो हैं इनको भी मिलता है ४० रुपया लेकिन यह है कि बाजों को ज्यादा मिल जायगा क्योंकि ४८५ तनख्वाह उन सबकी हो जायगी। इस तरह से यह इन्क्रीमेन्ट दिये गए हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी, सन् १९५८ से १९५९ तक जो प्रदेश में मंहगाई बढ़ी उसको देखते हुए इस श्रेणी के लोगों को जो १०५ से १५० और १५१ से १६० तक तनख्वाह पाते हैं, उनके लिये भी मंहगाई भत्ता बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—बात यह थी कि इनको तो सन् १९५९ में मिल चुका था और यह बाद वाला जिनका बढ़ाया गया उनको १९५९ में नहीं मिला था, इसलिये उनका बढ़ाया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय मंत्री जी ने प्रश्न संख्या २१ के उत्तर में जो यह कहा कि शायद स्वायत्त शासन के कर्मचारियों को दिया गया है, तो अब प्रश्न ३० को देखते हुए क्या वह इसको स्पष्ट करेंगे कि स्वायत्त शासन के कर्मचारियों को राज्यपाल की इस घोषणा के फलस्वरूप क्या ५ रुपये की वृद्धि फिर की जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। उनको भी दी जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ५ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है वह उनके मंहगाई भत्ते में की गई है या वेतन में की गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—मंहगाई भत्ते में की गई है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या उस घोषणा को ध्यान में रखते हुए, जो माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पिछले वर्ष की थी कि मंहगाई भत्ता वेतन में मिला दिया गया है, वह इसे स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि यह मंहगाई भत्ता किस प्रकार बढ़ाया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—अब मंहगाई भत्ता कुछ तो मिला दिया गया है, बाज चीजों के लिये वह समझा जायगा तनख्वाह का जुज और बाज हिस्सा उसका अभी मंहगाई भत्ते की शक्ल में है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५ रुपये की जिनकी वेतन वृद्धि की गई है उसमें जिला बोर्ड के अध्यापक और पंचायतों के सेक्रेटरी भी आते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—अब स्वायत्त शासन विभाग के जितने कर्मचारी हैं वह आते हैं । मैं तफसील नहीं बता सकता कि कौन आता है कौन नहीं आता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-सा जुज मंहगाई भत्ते के रूप में है और कौन-सा वेतन के रूप में ?

श्री सैयद अली जहीर—जब आप सवाल का नोटिस देंगे तो मैं इसको बतला दूंगा ।

खजुरिया ग्राम का साम्प्रदायिक दंगा

३३—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गत १५ अगस्त को गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के खजुरिया ग्राम में साम्प्रदायिक दंगा हो गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दंगे संबंधी प्राप्त विवरण को सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९३ पर)

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जहां पर यह दंगा हुआ है उससे कुछ दिन पहले मुहर्रम के अवसर पर भी वहां कुछ तनातनी का वातावरण उपस्थित हो गया था और उसकी सूचना पुलिस को थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । एक वृक्ष के काटने के पीछे गत मुहर्रम पर कुछ साम्प्रदायिक तनातनी थी ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उस गांव में तनातनी का वातावरण पहले से मौजूद था तो फिर इस मौके पर पुलिस वहां पर पहले से क्यों नहीं मौजूद थी या पहले से कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई जिससे यह तनातनी रुकती ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, गत वर्ष जो मुहर्रम के अवसर पर साम्प्रदायिक तनातनी हो गई थी, वह शान्तिपूर्ण ढंग से लिखित समझौते के आधार पर समाप्त हो चुकी थी ; इसलिये कोई ऐसी आशा नहीं थी कि यह दोबारा झगड़ा खड़ा हो जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब पहले लिखित समझौते के आधार पर शान्तिपूर्ण वातावरण वहां उपस्थित हो

गया था तो फिर कौन से कारण ऐसे थे कि जिनसे साम्प्रदायिक दंगा वहां हुआ और उसको रोकने के लिये पुलिस ने क्या किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—क्यों हुआ श्रीमन्, इसके बारे में तो मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि बावजूद इसके कि उन लोगों ने समझौता कर लिया था, उनके दिलों में इतनी पास आने की बात नहीं हुई थी और जब वह जुलूस मस्जिद के सामने से निकला तो उनमें झगड़ा हो गया। दोनों ने रिपोर्ट की। उन लोगों की गिरफ्तारियां हुईं। अब सब शान्ति है और जिलाधीश की रिपोर्ट से यह भी मालूम पड़ता है कि दोनों ही जो पक्ष हैं उनको इस दुर्घटना से बड़ा पश्चाताप है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दोनों दलों के कितने कितने आदमी गिरफ्तार हुए और उनका चालान किन-किन धाराओं के अन्तर्गत किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—हिन्दुओं की तरफ से ३७ मुसलमानों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई थी और मुसलमानों की तरफ से २६ हिन्दुओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई थी। दोनों तरफ से ही लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ ने अपने आप समर्पण किया है और कुछ गिरफ्तार हुए हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अब शान्ति-व्यवस्था हो जाने के बाद इन लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं या इस संबंध में आपस में कोई समझौता हो गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन दोनों रिपोर्टों की जांच हुई है। प्रारम्भिक जांच से यह मालूम हुआ है कि दोनों रिपोर्टें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर लिखाई गई हैं। बाकी जो वाकया है वह मौजूद है। अब कोशिश की जायगी कि शान्ति भंग न हो।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—इन रिपोर्टों से यह देखते हुए कि साम्प्रदायिक दंगे ४७ में बन्द हो गये थे और इधर २, ३ साल से फिर शुरू हो गये हैं जहां पर मस्जिद के सामने से कोई जलूस निकला तो झगड़ा हो जाता है, चाहे वह फिरोजाबाद हो, सहारनपुर हो या खजुरिया, सब जगह इस तरह से झगड़े हो जाते हैं तो इन झगड़ों के होने का क्या कारण है और ये कैसे खत्म किये जा सकते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, पिछले वर्ष से कुछ दंगे हो गये जो नहीं होने चाहिये थे और न आशा थी; सरकार को इसकी पूरी जानकारी है। सरकार यह प्रयत्न करती है कि दंगे न हों।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि गृह मंत्री के सभा सचिव श्री इस्तफा हुसैन जो वहां पर गये हुए थे और उन्होंने भी मौके पर जांच की थी, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी ? क्या उसको सदन की मेज पर रख सकेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरे पास इस समय ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सभा सचिव वहां पर गये थे। मेरे खयाल में अगर वह गये होंगे तो उन्होंने जांच क्या की होगी, उन्होंने दोनों पक्ष को आपस में बैठाने की बात की होगी। जांच करना तो जांच करने वाले आदमियों का काम है।

चीनी पर से कण्ट्रोल हटाने की प्रार्थना

****३४—श्री गेंदासिंह**—खाद्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या यह सही है कि अपने प्रदेश में चीनी के मूल्य तथा आने जाने पर से नियंत्रण उठा लिया जाय इसके लिये सरकार से आग्रह किया गया है ? यदि हां, तो किसकी ओर से और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--चीनी के आने-जाने पर से नियंत्रण उठाने के संबंध में तो नहीं बल्कि चीनी के मूल्य तथा वितरण पर से नियंत्रण उठाने के संबंध में सरकार से आग्रह किया गया था। इस आशय की प्रार्थनायें चीनी के व्यवसायियों तथा उनके संघों द्वारा की गई थीं। चीनी के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण भारत सरकार के निर्देश पर गत वर्ष मई-जून में लागू किया गया था अतः यह नियंत्रण भारत सरकार से निर्देश मिलने पर ही उठाया जा सकता है। चीनी के आने-जाने पर नियंत्रण भारत सरकार द्वारा लगाये गये हैं और राज्य सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर सकती।

****३५--श्री गेंदासिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार को प्रदेश की आवश्यकता के लिये इस समय प्रति मास कितनी चीनी की आवश्यकता है, और पिछले १२ महीनों से भारत सरकार ने चीनी की कितनी मात्रा दे रखी है तथा राज्य सरकार ने उक्त अवधि में प्रतिमास कितना कोटा उठाया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--राज्य की चीनी की आवश्यकता कोई निश्चित नहीं है। यह ऋतु परिवर्तन, विशेष त्योहारों गुड़, राब, खांड की उपलब्धि आदि के कारण घटती-बढ़ती रहती है जैसा कि संलग्न तालिका (जिस में प्रतिमास एलाट की हुई चीनी, और चीनी लाइसेन्सदारों द्वारा उठायी गई मात्रा दी है) से विदित होगा। भारत सरकार इस राज्य को प्रतिमास २५,००० टन चीनी देती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६९४ पर)

श्री गेंदासिंह--राज्य सरकार ने भारत सरकार को जो चीनी पर से नियंत्रण उठाने के लिये लिखा था वह किन बातों को ध्यान में रखकर लिखा था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--हमने कभी ऐसा नहीं लिखा था।

श्री गेंदासिंह--इसमें लिखा है कि भारत सरकार से आग्रह किया गया था लेकिन भारत सरकार ने नहीं माना।

श्री अध्यक्ष--यह राज्य सरकार भी हो सकती है। इसमें सरकार शब्द लिखा है।

श्री गेंदासिंह--चीनी के आने-जाने के नियंत्रण को उठाने के संबंध में नहीं बल्कि चीनी का मूल्य तथा वितरण से नियंत्रण उठाने के संबंध में सरकार से आग्रह किया गया था। तो यह प्रदेशीय सरकार का आग्रह भारत सरकार से होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यहां के व्यवसायियों तथा उनके संघ की ओर से राज्य सरकार के पास यह प्रार्थना-पत्र दिया गया था।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि राज्य सरकार चीनी नियंत्रित मूल्य पर उपभोक्ताओं को दिलाने में असमर्थ रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या वह नियंत्रण उठा लेने पर विचार कर रही है ताकि उपभोक्ताओं को ठीक दाम पर चीनी मिल सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--माननीय सदस्य को विदित होगा कि उपभोक्ताओं को बढ़े हुए दामों पर चीनी मिल रही थी और हमने उसे ठीक दाम पर दिलाने की व्यवस्था की है, और इस बात को आपका दिल भी जानता होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार प्रदेश में वार्षिक आवश्यकता चीनी की कितनी है साधारण तौर पर और त्योहारों पर मिलाकर, उसे जानने की कोशिश हिसाब लगा कर करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, प्रत्येक मास का हिसाब माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है कि किस मास में अधिक आवश्यकता पड़ती है और किस में कम।

श्री नारायणदत्त तिवारी--माननीय मंत्री जी के कथनानुसार कि चीनी की आवश्यकता सीजन के हिसाब से घटती बढ़ती, रहती है और यह देखते हुए कि अक्तूबर १९५९ में उन्होंने अपनी तालिका में २४,६२१ टन चीनी का एलाटमेन्ट किया है जब कि व्यापारियों ने २५ हजार टन का कोटा उठाया, अक्तूबर, १९६० में जब कि वही सीजन था और वही महीना, २१ हजार टन का एलाटमेन्ट क्यों किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह बैलेन्स रह जाता है किसी-किसी जिले में और वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डी० एस० ओ० जो मांग करते हैं वही एलाट किया जाता है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार को मालूम है कि शाहजहांपुर और बरेली में करोड़ों पये की खांडसारी जमा है व्यापारियों के पास जिसमें उनका रुपया लगा हुआ है, इसे देखते हुए क्या सरकार उस पर से नियंत्रण हटाने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, पिछले साल ही खंडसारी से नियंत्रण हटा दिया गया था।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि व्यवसायियों के प्रतिनिधि-मंडल ने जो सरकार से मांग की थी कि नियंत्रण हटा दिया जाय मूल्य पर से, उस संबंध में प्रान्तीय सरकार ने भारत सरकार को अपनी कोई राय दी है कि नियंत्रण हटाना उचित है अथवा अनुचित ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस संबंध में प्रदेश सरकार को भारत सरकार से कोई सिफारिश करने की आवश्यकता इसलिये नहीं प्रतीत होती कि खुद भारत सरकार के खाद्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि हम बहुत-सी चीनी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और उससे कमी होगी और दूसरी बात यह है कि अगर यह तर्क दिया जाय कि चीनी ज्यादा है तो अगर भाव घटेगा तो काश्तकारों को १ रुपया १२ आने मन गन्ने का मूल्य मिलेगा कैसे ? इसलिये इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

बंगाली शरणार्थियों का पुनर्वासन

*१--**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ मई, १९६० से लेकर आज तक कितने प्रार्थना-पत्र प्रदेश के बंगाली शरणार्थियों के सरकार के पास आये हैं, उनमें मुख्यतः किन समस्याओं का वर्णन किया गया है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस प्रश्न के उत्तर के लिये आवश्यक सूचना एकत्र करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह उससे निकलने वाले लाभ के अनुरूप न होगा।

*२--**श्री प्रतापसिंह** (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बंगाली शरणार्थियों को कहां-कहां बसाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नैनीताल, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, बहराइच, देवरिया, बरेली, मथुरा, कानपुर, झांसी, आजमगढ़, उन्नाव, लखनऊ, इलाहाबाद तथा वाराणसी जिलों में।

बांदा जिले में अतिसार का प्रकोप

*३—**श्री गौरीशंकर राय** तथा **श्री गरीबदास** (जिला जालौन)—न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सदन में प्रदेश में हैजे एवं गेस्ट्रोइन्ट्राइटिस के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य देने के पश्चात् बांदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हैजा का उत्तरोत्तर फैलाव हो रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं। वहां अतिसार बढ़ रहा था लेकिन अब बीमारी पर काबू पा लिया गया है ।

*४—**श्री गौरीशंकर राय** तथा **श्री गरीबदास**—क्या न्याय मंत्री २ जुलाई से आज तक बीमारों एवं मृतकों की संख्या बतायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—२४ सितम्बर, १९६० तक अतिसार से ६९६ व्यक्ति बीमार हुये तथा २३५ मृत्युएं हुईं ।

*५—**श्री गौरीशंकर राय** तथा **श्री गरीबदास**—क्या यह भी सही है कि औरन जैसे गांवों में जहां ५० आदमी मर चुके, वहां जिला स्वास्थ्य अधिकारी अब तक नहीं पहुंचे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—औरन ग्राम में १२२ व्यक्ति अतिसार से ग्रसित हुये तथा ५१ की मृत्यु हुई । जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन महोदय ने औरन ग्राम का दौरा किया । ५ सितम्बर के बाद कोई भी व्यक्ति अतिसार से इस ग्राम में बीमार नहीं हुआ ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि औरन गांव के आस-पास अभी पिछले हफ्ते तक भी मृत्युएं हुई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम को कोई सूचना नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कह सकता कि यह सत्य है अथवा असत्य ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद ही वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन ने वहां का दौरा किया है ? इन ५१ व्यक्तियों की मृत्यु के बाद और इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद ही अफसर वहां गये हैं, पहले नहीं गये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब से वहां बीमारी शुरू हुई तभी से यह आदेश दे दिये हैं कि वे लोग वहां पर दौरा करते रहें । अभी तक उसके विपरित कोई रिपोर्ट नहीं आई है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि औरन गांव में अधिकारी समय से मौके पर नहीं पहुंचे और जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि ३३ प्रतिशत मृत्युएं हुईं, वैसे हुई हैं करीब ४० प्रतिशत के, तो इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वहां पर सिविल सर्जन भी पहुंचे और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ आफिसर भी गये ।

श्री गौरीशंकर राय—मैंने यह पूछा था कि कब दौरा किया ? आपने कहा कि आदेश दे दिये गये थे । मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि वहां पर दौरा करने के स्पष्ट आदेश होते हुये भी, क्या वहां पर अधिकारियों द्वारा बराबर दौरा किया गया और उन आदेशों का पालन किया गया या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये तो सूचना की आवश्कता होगी कि किन किन डेट्स को गये ।

पीलीभीत जिले में हैजा

*६—**श्री प्रतापसिंह** (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि जिला पीलीभीत में हैजा जो पहले से ही चल रहा है अब भी बड़ी सरगर्मी पर है ? यदि हां, तो सम्बन्धित सरकारी विभाग ने उसकी रोक-थाम की क्या व्यवस्था की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

एकघरा ग्राम का पानी से घिर जाना

* ७—**श्री जगदीशनारायणदत्तसिंह** (जिला खीरी) (अनुपस्थित) तथा **श्री मन्नालाल** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि ग्राम एकघरा, थाना तसगंवां, तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी, पानी से घिरा हुआ है, जिससे वहां के लगभग ६०० व्यक्तियों का जीवन खतरे में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगस्त के तीसरे सप्ताह से सितम्बर के पहले पक्ष तक अधिक वर्षा के कारण कथित ग्राम के चारों ओर पानी आ गया था जिससे गांव वालों को कुछ कष्ट अवश्य हुआ परन्तु न तो कोई मकान गिरा और न जीवों को ही किसी प्रकार की कोई हानि हुई । अब पानी निकल गया है और स्थिति संतोषजनक है ।

घाघरा के कटान से सरदहा एवं परसा ग्रामों को क्षति

* ८—**श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल** (जिला गोंडा) तथा **श्री नत्थाराम रावत** (जिला बाराबंकी)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी के ग्राम सरदहा एवं परसा दोनों ग्राम घाघरा नदी की बाढ़ से पूरी तरह से बह गये ? यदि हां, तो कितने रुपये की क्षति हुई है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—ग्राम सरदहा की आबादी घाघरा नदी ने काट दी है जिससे ७ पक्के मकान और ७६ कच्चे मकान घाघरा नदी में बह गये । इसके अतिरिक्त ११ कुएं भी कट गये । लगभग १३० एकड़ भूमि, जिसमें से २० एकड़ भूमि में फसल थी, बह गई । कुल क्षति का अनुमान ५४,५०० रु० का है । परसा ग्राम की आबादी को कोई क्षति नहीं पहुंची; केवल ३० एकड़ भूमि कट कर बह गई है ।

*९—**श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल** तथा **श्री नत्थाराम रावत**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांवों के निवासियों को क्या-क्या तात्कालिक सहायता पहुंचाई गई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ग्राम सरदहा के निवासियों को हटा कर ऊंचे सुरक्षित स्थान पर झोपड़ियों में बसा दिया गया है । ग्रामवासियों की चल सम्पत्ति व मकान की ईंटें, चौखट तथा किवाड़ आदि को खुदवा कर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया । इसके अतिरिक्त ४१० रु० की नकद अहेतुक सहायता और २ बोरे चना बांटे गये । गैस, लाइट नावों आदि का भी समुचित प्रबंध कर दिया गया था । पानी पीने के लिये ४ हैन्ड पम्प सरकारी व्यय पर लगाये गये ।

*१०—**श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल** तथा **श्री नत्थाराम रावत**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांवों के सभी बेघर भूमिहीन कृषकों के लिये कोई योजना कार्यान्वित की जायेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जो लोग बेघर हो गये हैं उनको मकान बनवाने के लिये सहायता देने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री उग्रसेन--माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो गांवों में दो बोरे चने बांटने के लिये कहा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह दो बोरे चने कितने व्यक्तियों में बांटे गये ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--व्यक्तियों की संख्या हमारे पास नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह जो ५४,५०१ रुपये की हानि बताई गई है और केवल ४१० रुपये की सहायता दी गई है तो यह सहायता किस अनुपात से दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिनको जरूरत थी उनको दी गई ।

श्री कृष्णदत्त पालीवाल—माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर में बताया कि बेघर वालों को सहायता देने की व्यवस्था की जा रही है, तो क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हाउस सब्सीडी दी जायेगी, मकान बनाने के लिये ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि दो बोरे चने बांटे गये, तो यह इतनी बड़ी फईयाजी किसकी सलाह से की ? (हंसी)

श्री हुकुमसिंह विसेन--अपनी सलाह से ।

श्री रामशरण यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हाउस सब्सीडी का जो प्रबन्ध वहां के लिये किया गया है, वैसा प्रबन्ध और भी जिलों के लिये, जो बाढ़-ग्रस्त हैं, किया गया है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—और जिलों की सूचना के बारे में नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परसा में जो घर बचे हैं और सरदहा में जो घर बच गये हैं उनको बचाने का क्या प्रबन्ध मंत्री जी करने जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह तो बच ही गये हैं, अब उनको क्या बचाने की जरूरत है ?

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परसा और सरहवा जैसे और हजारों गांव घाघरा से त्रस्त होते रहते हैं, उनको स्थायी रूप से बचाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फ्लड डिवीजन कायम करके थर्ड फाइव-ईयर प्लान में बहुत सी स्कीमें रखी गई हैं जिससे उनको बचाने की चेष्टा की जायगी ।

[६ अक्तूबर, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सदर अस्पताल, आजमगढ़, का भवन निर्माण

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—आजमगढ़ सदर अस्पताल के भवन निर्माण के बारे में १४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के क्रम में क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष १९५९-६० में आजमगढ़ के सदर अस्पताल के भवन के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं ।

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर अस्पताल, आजमगढ़, के भवन निर्माण के लिये कितना रुपया सुरक्षित किया गया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--७,८०,००० रुपये, पी० डब्ल्यू० डी० चार्जेज को छोड़कर ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पी० डब्ल्यू० डी० का चार्ज क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—८ पर सेन्ट है शायद ।

देवारा दुवारी में अधिक मालगुजारी वसूल करने की शिकायत

*३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधीश आजमगढ़ को मालगुजारी की अधिक वसूली के सम्बन्ध में १८ अप्रैल, १९५९ का भेजा हुआ देवारा दुवारी, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़, के किसानों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर उन्होंने कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इस दिनांक का कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, आजमगढ़, को नहीं प्राप्त हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस तारीख के अलावा किसी दूसरी तारीख को इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र मिले हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इस प्रकार की जानकारी हासिल करने की कृपा करेगी कि कुछ स्थानों पर जहां से दरख्वास्त दी गई है, ज्यादा किसानों से मालगुजारी वसूल की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर माननीय मित्र लिखकर भेजेंगे तो जांच करा ली जायगी ।

*४—५—**श्री गरीबदास**—[हटा दिये गये ।]

जेलों से सम्बन्धित कैंटीन, गल्ले की खरीद तथा कैदियों का भागना

*६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की किन-किन जिलों की जेलों से कितने-कितने कैदी १ जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९६० तक भागे और उनमें से कितने कैदी पुनः गिरफ्तार किये गये ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—इस सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ', आगे पृष्ठ ६९५ पर)

*७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की किन-किन जेलों में गल्ले की खरीद सहकारी विभाग द्वारा की जाती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जेलों द्वारा खाद्यान्न क्रय किये जाने की नीति प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है । अतएव किसी वर्ष विशेष के बारे में ही यह सूचना दी जा सकती है कि प्रदेश की किन-किन जेलों में गल्ले की खरीद सहकारी विभाग द्वारा की गई । चालू वित्तीय वर्ष (१९६०–६१) के लिये यह आदेश है कि उन चन्द स्थानों को छोड़कर जहां storage की सुविधा नहीं है, अन्य सब जेलें गेहूं और चावल, और यदि सम्भव हो तो चना भी खाद्य तथा रसद विभाग से खरीदें तथा अन्य खाद्यान्न को टेन्डर प्राप्त करके स्थानीय खाद्यान्न क्रय समिति द्वारा ठेके के आधार पर खरीदा जाय जिसमें सहकारी समिति से भी नमूना मांगा जाय और यदि समिति का नमूना खरीदने योग्य पाया जाय तो उसको प्राथमिकता दी जाय ।

*८—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की किन जेलों में कैदियों की सुविधा के लिये कैन्टीन खोली गई हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—निम्नांकित जेलों में :—

(१) केन्द्रीय कारागार, नैनी ।
(२) केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।
(३) केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ ।
(४) आदर्श कारागार, लखनऊ ।
(५) किशोर सदन, बरेली ।
(६) जिला कारागार, फैजाबाद ।
(७) जिला कारागार, मेरठ ।
(८) जिला कारागार, उन्नाव ।
(९) सम्पूर्णानन्द शिविर, चुर्क, मिर्जापुर ।
(१०) सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, नैनीताल ।
(११) सम्पूर्णानन्द शिविर, मंझोला, पीलीभीत ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—यह जो सूची दी गई है इसमें लिखा हुआ है कि सम्पूर्णानन्द शिविर, मंझोला, पीलीभीत, से २९ कैदी भागे, १४ कैदी पकड़े गये, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नहीं पकड़े गये उनकी कितने-कितने दिन की सजा बाकी थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय मेरे पास यह ब्योरा नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जेलों के कैदी बाहर रखे जाते हैं उन जेलों से अब तक कितने कैदी भागे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सबके नाम हैं सूची में, माननीय सदस्य उसे देख सकते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सभी केन्द्रीय कारागारों में कैन्टीन क्यों नहीं खुलीं, उदाहरण के लिये आगरा में क्यों नहीं खुली ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—धन की कमी है, और भी कई कारण हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गल्ला सरकारी विभागों द्वारा खरीदा जाता है उसके अतिरिक्त जेलों में जो गुड़ और तेल दिया जाता है वह सरकार के सेन्ट्रल स्टोर से दिया जाता है जिसके सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी शिकायतें आई हैं, क्या उनकी जांच कराई गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—शिकायतों के मुताल्लिक मुझे विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से खरीद की जाती है, उसका ब्योरा इस प्रश्न के उत्तर में दिया हुआ है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो कैदी भागे उनमें से किस जेल के सब से ज्यादा कैदी भागे और उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, जो सबसे ज्यादा या कम भागे हैं उन सबकी तादाद विवरण में दी गई है। २९ कैदी सम्पूर्णानन्द शिविर, मझोला, जिला पीलीभीत से भागे ।

काशीपुर में अस्पताल भवन निर्माणार्थ आदेश

*९—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि काशीपुर, जिला नैनीताल, में अस्पताल बनाये जाने हेतु जो धनराशि उनके विभाग को दो वर्ष पहले सुपुर्द की गई है उसका अभी तक उपयोग क्यों नहीं किया जा सका ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—काशीपुर, जिला नैनीताल, में अस्पताल बनाने के कार्य को मार्च, १९६० में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है, तथा उन्हें इस कार्य को पूरा करने में प्राथमिकता देने का भी आदेश दे दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि अस्पताल के भवन का तखमीना क्या है और यह कब तक बन जायगा?

श्री हुकुम सिंह विसेन—हमारे आदेश तो यह हैं कि इसको फर्स्ट प्रायरिटी देकर जल्द से जल्द बनाया जाय।

देवरिया जिले में डी० जी० सी० रेवेन्यू की नियुक्ति

*१०—**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में डी० जी० सी० रेवेन्यू की नियुक्ति कब से हुई है और जिले में गांव सभाओं के विरुद्ध कितने मुकदमें उनकी नियुक्ति के बाद से दाखिल हुये और कितनों में उनकी ओर से आपत्तियां की गईं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस जिले में डी० जी० सी० रेवेन्यू की नियुक्ति १-७-५९ से हुई है और किसी भी गांव सभा के विरुद्ध कोई मुकदमा उनकी नियुक्ति के बाद दाखिल नहीं हुआ। ऐसी दशा में उनकी ओर से आपत्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*११—**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (अनुपस्थित)—उपर्युक्त कितने मुकदमों का फैसला हो चुका और उसमें कितने मुकदमें गांव सभाओं ने डी० जी० सी० रेवेन्यू की सहायता से जीते?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता।

*१२—**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (अनुपस्थित)—सरकार का कुल व्यय इन मुकदमों की पैरवी कराने में क्या हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता।

*१३—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—[१३ अक्तूबर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

निघासन, जनाना अस्पताल में डाक्टरनी का न होना

*१४—**श्री बंशीधर शुक्ल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि निघासन, जिला लखीमपुर खीरी, में जनाना अस्पताल किस सन् में बना और वहां कब कौन डाक्टर भेजा गया और यदि नहीं भेजा गया तो क्यों?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जनाना अस्पताल निघासन, जिला लखीमपुर-खीरी, विजुवा राज के भवन में जो सन् १९५५ में क्रय किया गया था, १४ जनवरी, १९५६ से जनता की सेवा कर रहा है। इस अस्पताल में डाक्टर (कुमारी) शान्तीमन सिंह १४ जनवरी, १९५६ को, डाक्टर (कुमारी) राजकौर १३ दिसम्बर, १९५६ को, डाक्टर (कुमारी बाई० सी० शास्त्री १६ मई, १९५८ को तथा डाक्टर (श्रीमती) मोहिनी निगम को १ सितम्बर, १९६० को भेजा गया। महिला डाक्टरों की कमी के कारण ८ मई, १९५७ से १५ मई, १९५८ तक तथा २२ अगस्त, १९५८ से ३१ अगस्त, १९६० तक वहां महिला डाक्टर नहीं भेजी जा सकी परन्तु पुरुष चिकित्सालय के डाक्टर वहां का कार्य देखते रहे हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल—यह जो आपने डाक्टरनियों की लिस्ट बतायी उनके नाम वहां के अस्पताल के रजिस्टर में भी दर्ज हैं या सरकारी कागज में ही हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अस्पताल का रजिस्टर भी सरकारी कागज है।

श्री बंशीधर शुक्ल—उनके नाम निघासन के अस्पताल के रजिस्टर में भी हैं या यहीं से आपने देखकर बता दिये और वे वहां नहीं गईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गयीं, तभी तो बता दिये, न गयीं होतीं तो न बताते।

जेलों में समाजवादी सत्याग्रहियों के साथ दुर्व्यवहार

*१५—**श्री उग्रसेन**—क्या समाज कल्याण मन्त्री दिनांक २५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर, देवरिया तथा बुलन्दशहर जेलों में हाल में हुये सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रह से सम्बन्धित सोशलिस्ट बन्दियों के साथ जेल अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो उन पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसी केवल एक शिकायत श्री अब्बास अली खां ने बुलन्दशहर जेल के विरुद्ध की थी, किन्तु वह शिकायत जहां तक उक्त जेल का सम्बन्ध है अनिश्चित (indefinite) थी, अतः उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि श्री अब्बास अली ने बुलन्दशहर जेल के विरुद्ध जो शिकायतें की थीं उनमें उन्होंने किन-किन मुख्य बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं थोड़ा-सा उस पत्र को बता देना चाहता हूं। उनकी शिकायत कुछ इस प्रकार थी कि उत्तर प्रदेश की अधिकतर जेलों में समाजवादी बन्दियों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा है जोकि अलीगढ़, बुलन्दशहर, एटा और फतेहगढ़ जेलों में चरम सीमा को पार कर गया है। इस प्रकार की बड़ी जनरल नेचर की शिकायतें उसमें थीं। क्योंकि उसमें कोई स्पष्ट बात नहीं थी, इस लिये उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी ने श्री अब्बास अली के पास पुनः इस बात को लिखकर भेजा कि जो उनकी निश्चित शिकायतें हों उनको वे भेजें, या नहीं लिख कर भेजा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह बात सही है कि जो बुलन्दशहर जेल में खराब भोजन दिये जाने या कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायतें जेल-सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ हैं, उसकी सूचना आपके पास भी पहुंची है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं आई।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब्बास अली ने जो अलीगढ़ जेल के बारे में लिखा है, तो क्या उन्होंने यह भी लिखा है कि समाजवादी बन्दी जिस बैरक में रहते हैं उसमें जेल अधिकारी दोबारा-तिबारा लकड़ी काटने के बहाने घुस गये और समाजवादी बन्दियों की बड़ी पिटाई की जिससे उनमें से कई की हड्डियां टूट गईं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सदन के सामने इस विषय में विशेष विवाद हुआ था। उस दिन भी मैंने कहा था कि यह बिलकुल असत्य बात है बल्कि इसके बिलकुल बरअक्स यह हुआ कि बिना टिकट दो लाल टोपी लगाये हुये आदमी पकड़े गये और जब वे जेल में आये तो समाजवादी बन्दी कहने लगे कि यह भी समाजवादी बन्दी हैं, इसलिये इनको हमारी तरफ भेजो, क्योंकि वह लाल टोपी लगाये हुये थ और बिना टिकट चल रहे थे। उसके बाद उन लोगों को उनके पास नहीं भेजा गया, क्योंकि वे कोई सर्टिफिकेट लेकर तो आये नहीं थे कि वह समाजवादी हैं या यह भी ज्ञान नहीं था कि कोई इस तरह का भी सत्याग्रह किया जाता है जिसमें बिना टिकट यात्रा की जाती है। इसलिये इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बरखिलाफ हुआ यह कि कुछ कर्मचारी लकड़ी काटने के लिये गये जिनको डेढ़ दिन तक समाजवादी बन्धुओं ने अपने बैरक के अन्दर बन्द रखा।

गणेशशंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर, में एनाटामी के प्रोफेसर को नोटिस

*१६—**श्री गौरीशंकर राय, श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री मदन पांडेय**—क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी, मेडिकल कालेज, कानपुर, के एनाटामी के प्रोफेसर को प्रदेश के स्वास्थ्य संचालक ने १३ अक्तूबर, १९५८ की पत्र संख्या ११/२३–ई–५७–११२४५, के अनुसार एक माह का नोटिस देकर मेडिकल कालेज की सेवा से मुक्त कर दिया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ऐसा नोटिस दिया गया था परन्तु उसका पालन रोक दिया गया था।

*१७—**श्री गौरीशंकर राय, श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** तथा **श्री मदन पांडेय**—क्या यह सत्य है कि उक्त नोटिस अब तक तामील नहीं हो सका ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नोटिस को क्यों रोक दिया गया और अगर इस नोटिस को रोकना था तो इस नोटिस को ईश्यू करने की आवश्यकता किन कारणों से पड़ी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस देने के बाद एक रिप्रेजेन्टेशन गया, जिसे उन्होंने रेफर कर दिया पब्लिक सर्विस कमीशन को। ताहम फैसला रिप्रेजेंटेशन उस नोटिस को कैन्सिल कर दिया गया।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अपनी क्या राय दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब पोस्ट रिएडवरटाइज करने के लिये कहा है और यह भी कहा है कि डाक्टर के० बी० सिंह उसमें अपीयर हो सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह सरकार को कब लिखा कि उस पोस्ट को रिएडवरटाइज किया जाय और अब तक उन्होंने उसे क्यों नहीं रिएडवरटाइज किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तारीख तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिप्रेजेन्टेशन किया गया उसमें क्या–क्या आधार बतलाया गया है जिससे उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें यह था कि उनका काम बहुत अच्छा है, इसलिये उस नोटिस को मन्सूख कर दिया गया।

*१८-१९—**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़)—[१३ अक्तूबर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

तारगांव में चकबन्दी सम्बन्धी शिकायतों की छानबीन

*२०—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक २४ जुलाई, १९६० को चकबन्दी उपसंचालक, श्री बाबूराम गुप्त, जिला व तहसील उन्नाव के तारगांव नामक ग्राम में चकबन्दी सम्बन्धी शिकायतों की छानबीन करने गये थे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां। चकबन्दी उप-संचालक दिनांक २४ जुलाई, १९६० को चकबन्दी सम्बन्धी शिकायतों की जांच करने के लिये तारगांव गये थे।

*२१—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—यदि हां, तो क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्राम के किसानों की शिकायतें क्या थीं और उनको दूर करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इस गांव की शिकायतों का मुख्य आधार चकों के सीमा निर्धारण से सम्बन्धित था। अतएव खातेदारों के सहयोग से चकों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांव वालों की चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ भी कुछ शिकायतें थीं ? और यदि थीं, तो उनको दूर करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनकी मुख्य शिकायत थी कि सीमा ठीक नहीं बनी है। उस को दूर करने का प्रयास किया गया है, डिप्टी डायरेक्टर को इसीलिये भेजा गया था। वह सबसे मिले और लोग अब सन्तुष्ट हो गये हैं। जो त्रुटियां हैं वे ठीक कर दी जायेंगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि काश्तकारों को जो मुख्य शिकायतें थीं उनमें चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ और भी शिकायतें थीं उनको दूर करने के लिये क्या किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह कापी हमारे पास नहीं है कि जिससे हम डिटेल बता सकें लेकिन खास शिकायत उनकी यही थी कि चकों की सीमा ठीक कायम नहीं हुई है।

हाकिम परगना, उत्तरी वाराणसी के विचाराधीन दाखिल-खारिज के मुकदमे

*२२—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना हाकिम उत्तरी वाराणसी की अदालत में इस वक्त कितने दाखिल-खारिज तथा दूसरे किस्म के मुकदमें हैं जो ६ महीने से ज्यादा से विचाराधीन हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—हाकिम परगना, उत्तरी वाराणसी, की अदालत में १ सितम्बर, १९६० को दाखिल खारिज का कोई भी मुकदमा ६ माह से अधिक अवधि का नहीं था। उक्त दिनांक को अन्य प्रकार के मुकदमों में से सिर्फ १४ मुकदमें ६ माह से अधिक अवधि के थे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह देखते हुये कि १४ मुकदमें मौजूद थे, सरकार यह उचित समझती है कि दाखिल-खारिज के मुकदमें इन पंचायतों को किसी तरह से परिवर्तित कर दिये जांय जिससे देर न हो?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—माननीय सदस्य भूल रहे हैं, दाखिल-खारिज के १४ मुकदमे नहीं थे, यह दूसरी तरह के मुकदमे थे।

नर्सों की ट्रेनिंग

*२३—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार की सेवा में इस समय, १५ अगस्त, १९६० को, कुल कितनी नर्सेज कार्य कर रही थीं और उनमें कितनी स्थाई हैं तथा कितनी अस्थाई?

श्री बलदेवसिंह आर्य—१५ अगस्त, सन १९६० को १,००८ नर्सेज कार्य कर रही थीं, उनमें ५५८ स्थाई तथा ४५० अस्थाई हैं।

*२४—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में नर्सेज के प्रशिक्षण के लिये कुल कितने केन्द्र हैं और उनमें प्रति वर्ष कितनी नर्सेज प्रशिक्षित की जाती हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—राज्य में नर्सेज के प्रशिक्षण के लिये कुल ९ केन्द्र हैं और उनमें प्रति वर्ष प्रशिक्षार्थियों की संख्या उनके उपलब्ध होने तथा उपयुक्त समझे जाने के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। उक्त ९ प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रथम वर्ष १९५९ में १२० तथा १९६० में २०३ प्रशिक्षार्थी क्रमशः प्रविष्ट किये गये।

*२५—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह नर्सेज को प्रशिक्षण काल में और उसके पश्चात् स्थायी सेवा में आने पर क्रमशः छात्रवृत्ति और वेतन-क्रम के रूप में क्या देती है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रशिक्षार्थियों को जनरल नर्सेज ट्रेनिंग काल में निम्नलिखित उपलब्धियां छात्रवृत्ति एवं भत्ते के रूप में दी जाती हैं—

(१) छात्रवृत्ति प्रथम वर्ष २५ रु० द्वितीय वर्ष ३० रु० और तृतीय वर्ष ३५ रु० प्रति मास।

(२) महंगाई भत्ता	..	..	२५ रु० प्रति मास
बोर्ड एलाउन्स	..	..	३० रु० प्रति मास
और (३) यूनीफार्म एलाउन्स		..	६ रु० प्रति मास

मिडवाइफरी ट्रेनिंग काल में छात्रवृत्ति निम्न प्रकार दी जाती है:

छात्रवृत्ति	..	..	३५ रु० प्रति मास
महंगाई भत्ता	..	..	२५ रु० प्रति मास
बोर्ड एलाउन्स	..	..	३० रु० प्रति मास
यूनीफार्म एलाउन्स	..	..	६ रु० प्रति मास।

जनरल नर्सेज की परीक्षा पास करने पर उनकी नियुक्ति स्टाफ नर्स के पद पर ६५ रु० माहवार fixed pay पर की जाती है, जब तक कि वे मिडवाईफरी ट्रेनिंग में भेजी जाती हैं। उपर्युक्त दोनों जनरल नर्सेज तथा मिडवाईफरी की ट्रेनिंग की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात् उनको दो वर्ष के लिये probation पर ७५—१५० रु० के वेतन क्रम पर नियुक्त किया जाता है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जनसंख्या और अस्पतालों को देखते हुये नर्सेज की जो प्रदेश में १,००० की संख्या है वह अस्पतालों की मांग और आवश्यकता को देखते हुये बहुत कम है, तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है कि जिससे आने वाले २–३ सालों में उन की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमने ट्रेनिंग सेन्टर इसीलिये खोले हैं ताकि काफी मात्रा में वह मिल सकें। अगर हमारे मित्र सहायता करें तो काफी तादाद में आ सकती हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ज्यादा तादाद में नर्सेज नहीं आ रही हैं उसका मुख्य कारण यह है कि सरकार की ओर से महंगाई और उनके सेवा कार्य को देखते हुये वेतन ३०–३५ रुपये का बहुत कम है और वह वेतन बढ़ाया जाना चाहिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो ४५ प्रतिशत अस्थायी हैं उनको भी स्थायी करने पर विचार किया जा रहा है, वेतन भी जो कम था वह बढ़ा दिया गया है, उनका स्थान पेन्शनेबिल कर दिया गया है। यह ३०–३५ रुपया तो उनका स्टाइपेंड, है वेतन नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, इसमें यह है कि दो साल तक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद ६ महीने काम करने के बाद फिर ट्रेनिंग में भेज देते हैं और फिर जो स्टाईपेंड होता है फिर वही शुरू होता है। तो इस प्रकार दो साल ट्रेनिंग और ६ महीने काम के बाद छात्रवृत्ति शुरू होती है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनकी छात्रवृत्ति और वेतन बहुत कम है और ४५ पर सेंट अस्थायी हैं प्रदेश के अन्दर, सरकार इन असुविधाओं को दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—छात्रवृत्ति बढ़ाने में असमर्थ हैं। लेकिन स्केल उनका बढ़ा दिया, पेन्शनेबिल पोस्ट कर दी, अब तो बड़ा अट्रेक्टिव जाब हो गया है।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत खुलने वाले मेडिकल कालेज

*२६—**श्री मदन पांडेय तथा श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, अलीगढ़ में मेडिकल कालेज खोलने की योजना विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में दो राजकीय मेडिकल कालेज खोलने का विचार है। अभी इनके लिये स्थान तै होने हैं।

आयुर्वेदिक औषधालयों के अस्थाई कम्पाउण्डर

*२७—**श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह** (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने ऐसे राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के कम्पाउन्डर हैं जो १९३९ से सरकार की सेवा कर रहे हैं परन्तु मार्च, १९६० तक स्थायी नहीं किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसे कम्पाउन्डरों की संख्या १५ है।

बागों की भूमि का लगान

*२८—**श्री देवनारायण भारतीय, श्री टीकाराम** (जिला बदायूं) तथा **श्री गयाप्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस भूमि का गत आठ वर्षों का लगान काश्तकारों से तलब किया जा रहा है जिस भूमि पर बाग अब तक खड़े हुये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

नोट—तारांकित प्रश्न २५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२९—श्री देवनारायण भारतीय, श्री टीकाराम तथा श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस भूमि पर पहले बाग थे और अब बाग नहीं रहे हैं, उस भूमि का आठ वर्षों का लगान एक साथ काश्तकारों से वसूल करने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसे मामलों में नियमानुकूल लगान निर्धारित अवश्य हुआ है परन्तु सारा बकाया एक साथ न वसूल करके इस समय वर्तमान मांग के साथ केवल एक साल का ही बकाया वसूल किया जा रहा है ।

*३०—श्री देवनारायण भारतीय, श्री टीकाराम तथा श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस भूमि में पहले बाग था और अब पटवारी के कागजात में उस भूमि का जोता-बोया जाना नहीं लिखा गया है उस भूमि का भी आठ वर्ष का लगान काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यदि किसी बाग-भूमि के पेड़ कट गये हैं या नष्ट हो गये हैं तो ऐसी भूमि पर चाहे खेती न भी होती हो उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ के नियम २०० (१) के अधीन लगान पुनः निर्धारित किया जा रहा है परन्तु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, वर्तमान मांग के साथ केवल एक साल का ही बकाया वसूल किया जा रहा है ।

चोलापुर चिकित्सालय में डाक्टर का न होना तथा चौबेपुर चिकित्सालय का भवन

*३१—श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय चिकित्सालय चोलापुर, जिला वाराणसी, में करीब ५ माह से डाक्टर क्यों नहीं है जिससे जनता को अत्यधिक कष्ट हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस चिकित्सालय में डाक्टर के न होने का कारण पी० एम० एस० (द्वितीय) सर्विस में डाक्टरों की कमी है ।

*३२—श्री लोकनाथसिंह—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौबेपुर, जिला वाराणसी का राजकीय दवाखाना सरकार द्वारा खरीदे गये भवन में चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

मण्डल कांग्रेस कमेटी, फरेंदा, के कार्यालय पर कथित झण्डारोहण

*३३—श्री मदन पांडेय—क्या यह सही है कि १५ अगस्त, १९६० को मंडल कांग्रेस कमेटी, फरेन्दा, जिला गोरखपुर के कार्यालय पर तहसीलदार फरेंदा ने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

*३४—श्री भगवतीसिंह विशारद—[१२ अक्तूबर, १९६० के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

तराई उपनिवेश कार्यालय, नैनीताल, से राजनीतिक पीड़ितों को भूमि का वितरण

*३५—श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५८ से जून, १९६० के बीच तराई उपनिवेश कार्यालय, नैनीताल, द्वारा कितने राजनीतिक पीड़ितों को जमीन एलाट की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—छतीस राजनीतिक पीड़ितों को भूमि प्रदान की गई ।

कठौड़ा का बांध टूट जाना

*३६—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिले के अन्तर्गत ग्राम कठौड़ा का बांध १९ जुलाई, १९६० को घाघरा नदी की भीषण बाढ़ के आ जाने से टूट गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

*३७—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या यह सही है कि बांध टूट जाने पर ग्रामीणों द्वारा जिलाधीश बलिया को टूटे हुये बांध का बांधने के संबंध में सहायता के लिये फोन द्वारा सूचना दी गई थी, फिर भी सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई और न बाढ़ विभाग का कोई अधिकारी ही सूचना पाने के बावजूद मौके पर पहुंचा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टेलीफून के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी और शीघ्र ही २० जुलाई, सन् १९६० को जिले के बाढ़ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गये थे । बांध का निरीक्षण करने के उपरान्त बांध को पुनः बांधने के लिये रात्रि में दो पेट्रोमैक्स व २५० सीमेंट के खाली बोरों का प्रबंध कर दिया गया था । सिंचाई विभाग के ओवरसियर भी सूचना पाने पर बांध के पुनः निर्माण में सहायता देने के लिये घटनास्थल पर गये थे ।

*३८—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त बांध के टूट जाने से कितने गांवों की अलग-अलग कितनी क्षति हुई है और उन गांवों की सहायता के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बांध टूटने से किसी भी गांव में जन व धन को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची क्योंकि पानी आबादी में नहीं घुस पाया था । प्रश्न का अगला भाग उठता ही नहीं है ।

मारवाड़ी अस्पताल, गोदौलिया, वाराणसी, का अनुदान बढ़ाने की प्रार्थना

*३९—श्री मुक्तिनाथराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोदौलिया, वाराणसी, स्थित मारवाड़ी अस्पताल के संस्थापकों ने सरकार का ध्यान इधर हाल में दिलाया है कि इस समय यह अस्पताल २५-३० हजार रुपया सालाना घाटे में चल रहा है और सरकारी सहायता केवल ९ हजार रुपया सालाना दी जाती है, इस कारण शीघ्र ही धनाभाव के कारण अस्पताल की सेवाओं से जनता को वंचित करना पड़ेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

*४०—श्री मुक्तिनाथराय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार इस पर क्या करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता ।

बिसौली तहसील में चकबन्दी के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि

*४१—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं की तहसील बिसौली में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि village lay-outs के लिये छोड़ी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला बदायूं की तहसील बिसौली में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत कुल २,८९१ एकड़ भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये छोड़ी गई है ।

*४२—श्री शिवराजसिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त रकबे में से कितने रकबे पर वे कार्य किये जा रहे हैं जिनके लिये वह छोड़ी गयी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सभी रकबे पर जिस कार्य के लिये भूमि छोड़ी गई थी वही कार्य किये जा रहे हैं अथवा उनके करने के प्रयास हो रहे हैं।

वाराणसी जिले के सरकारी अस्पताल

*४३—श्री लोकनाथसिंह—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की किन-किन तहसीलों में कहां-कहां और कितने सरकारी अस्पताल हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६९६–६९७ पर)

*४४—श्री लोकनाथसिंह—क्या न्याय मंत्री परगना जालहूपुर, जिला वाराणसी, में चलने वाले सरकारी अस्पताल के लिये भवन निर्माण की किसी योजना पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

*४५—श्री लोकनाथसिंह—क्या न्याय मंत्री ग्राम रामगढ़, परगना बरह, जिला वाराणसी, में एक सरकारी अस्पताल खोलने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

समथर राज्य के विलय ग्रामों में लगान वसूली में आपत्ति

*४६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि मौठ तहसील (झांसी) के अन्तर्गत समथर राज्य के विलीन हुये ग्रामों के किसानों का राजस्व दुगना किया जा रहा है और उक्त बढ़े हुये राजस्व के रेट से दस वर्ष का बकाया वसूल किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, समथर राज्य के विलीन हुए ग्रामों के सभी किसानों का न तो लगान दुगना किया जा रहा है, न दस वर्षों का बकाया ही वसूल किया जा रहा है। इस संबंध में स्थिति यह है कि जो किसान समथर राज्य के पिछले १९३९–४० के दसवर्षीय बन्दोबस्त के अनुसार परती भूमि का लगान सर्किल रेट के आधे की दर से दे रहे थे, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम के ३० जून, १९५३ से उपरोक्त ग्रामों में लागू होने के फलस्वरूप उन पर केवल उनकी उस परती भूमि के संबंध में जो कृषि के उपयोग में आ गई थी लगान सर्किल रेट से लगाया जा रहा है। जहां तक वसूली का संबंध है, सम्पूर्ण बकाया एक साथ न वसूल करके वर्तमान मांग के साथ केवल एक वर्ष का बकाया वसूल करने का आदेश है।

*४७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या उप-राजस्व मंत्री के अभी हाल ही में समथर जाने पर उनका ध्यान वहां की जनता द्वारा इस सम्बन्ध में आकर्षित किया गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, मामला सरकार के विचाराधीन है, परन्तु इस सम्बन्ध में यह आदेश अवश्य जारी कर दिये गये हैं कि जिन किसानों ने लगान के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत कर दी है या प्रस्तुत करने का इरादा व्यक्त करके एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दिया है उनसे उनकी आपत्तियों पर फैसला होने तक वसूली रोक दी जाय।

ग्राम चक फैजुल्ला से हटाये गये परिवारों को मुआवजा

*४८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला इलाहाबाद में २०-७-६० को मौजा तुलसी तालाब, चक फैजुल्ला, परगना अरैल, तहसील करछना, में करछना के तहसीलदार ने बहु से मकानों के रहने वालों को मकान से निकाल कर मकानों पर कब्जा कर लिया ? यदि हां, तो क्यों और कितने मकान वालों को निकाला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के हेतु ग्राम चक फैजुल्ला, परगना अरैल, जिला इलाहाबाद, में १ बीघा ९ बिस्वा भूमि उत्तर प्रदेश लैन्ड एक्वीजीशन (रिहेबिलीटेशन आफ रिफ्यूजीज) ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत प्राप्त की गई है। इस भूमि प्राप्ति से कुल १४ परिवारों पर प्रभाव पड़ा और उनके मकानों पर २० जुलाई, १९६० को अधिकार कर लिया गया।

*४९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपरोक्त स्थान के मकानदारों को मकान खाली कराकर कोई मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो कितना कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन मकानों तथा भूमि का प्रतिकर निश्चित कर दिया गया है जिसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६९८ पर)

फैजाबाद जिले में फार्म पी-१० का प्रयोग

*५०—श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि लेखपाल कैफियत के खाने में जो नये इन्दराज करते हैं उसका पी-१० फार्म का प्रयोग फैजाबाद की किन-किन तहसीलों में हो रहा है और किन-किन में नहीं हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फैजाबाद जिले की हर तहसील में, अलावा तहसील बीकापुर के, फार्म पी-१० का प्रयोग उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं है। तहसील बीकापुर में इसका प्रयोग हो रहा है और न इसकी आवश्यकता ही है क्योंकि इस तहसील में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू न हो।

*५१—श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जिले को पी-१० फार्म कितनी मात्रा में १९५७-५८, ५८-५९ तथा ५९-६० में सप्लाई किये गये और उनमें से कितने फार्मों का उपयोग किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्रमशः ५२३, ४४० तथा ४७४ सप्लाई किये गये और क्रमशः ५५५, २२२, तथा ४०९ का उपयोग किया गया।

*५२—श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जो हाकिम तहसील या तहसीलदार पी-१० फार्म का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें कोई दंड दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता।

बलदेवदास बाजोरिया अस्पताल, जिला सहारनपुर के कम्पाउण्डर्स

*५३—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला सहारनपुर में जो बलदेव दास बाजोरिया नामक अस्पताल खुला है उसमें सभी कम्पाउन्डर्स ट्रेनिंग प्राप्त हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

मनकापुर तथा बभनीपापर परगनों में काश्तकारों के खातों में गलत इन्दराज

*५४—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा), कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री बलदेव सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के परगना मनकापुर और बभनीपापर में कितने ऐसे काश्तकारी के खाते हैं, जिनमें असली खातेदारों (काश्तकारों) के खातों पर अन्य व्यक्तियों के नाम पिछले दो सालों में दर्ज किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १३६६ तथा १३६७ फसली में क्रमशः १२,८३५ और १२,९२६ खातों को आंशिक भूमि पर अन्य व्यक्तियों के कब्जे दर्ज किये गये ।

*५५—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर श्रीपालसिंह तथा श्री बलदेवसिंह—क्या यह सही है कि उपरोक्त इन्दराज बिना असली काश्तकारों को सूचना दिये किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

*५६—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर श्रीपालसिंह तथा श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे इन्दराज के फलस्वरूप असली काश्तकारों के खेतों पर अन्य व्यक्ति जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और असली काश्तकार परेशान हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार असली काश्तकारों के कष्ट दूर करने के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यदि इस प्रकार के अनधिकृत कब्जे के मामले सरकार के नोटिस में आते हैं तो उन पर नियमानुसार कार्यवाही होती है ।

रीजनल हेड क्वार्टर्स पर कम्पाउण्डर्स की ट्रेनिंग बन्द होना

*५७—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के रीजनल हेडक्वार्टर्स (गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, इत्यादि) पर प्रति वर्ष कम्पाउन्डरों को ट्रेनिंग दी जाती रही है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि गत दो या तीन वर्षों से उपरोक्त ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां । यह सत्य है कि कम्पाउन्डरों की ट्रेनिंग जो प्रदेश के १२ केन्द्रों में दी जाती रही थी, वह अगस्त, १९५९ से बन्द कर दी गई है । कारण यह है कि फार्मेसी काउन्सिल आफ इंडिया ने १३ दिसम्बर, १९५९ से इस प्रदेश में फार्मेसी ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत निर्धारित ऐजूकेशन रेगुलेशन्स कम्पाउन्डरों को ट्रेनिंग के लिये लागू कर दिये हैं, जिनके द्वारा पुराने प्रशिक्षण का सारा पाठ्यक्रम बदल गया है ।

*५८—श्री अहमद बख्श—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६० तक सरकार द्वारा संचालित प्रदेश के अस्पतालों में कितने अनट्रेन्ड कम्पाउन्डर कितने समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सूचना सिविल सर्जनों तथा अधीनस्थ कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है ।

*५९—श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—[चौदहवें बुधवार के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

सोमल ताल में रामकोला मिलों का पानी आने से क्षति

*६०—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या रामकोला, जिल देवरिया, के दोनों मिलों ने तेजाब वाला गन्दा पानी सोमल ताल में खोल दिया है जिसकी वज

से गांव रामकोला, भिखारी टोला, इंद्रसनवां, पकड़ी, अगडरिया, धनौजी, उरवहां, मठही, माडेराय वगैरह दर्जनों गांवों की ५ हजार बीघा धान की फसल नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो इसका असर कितनी आबादी पर पड़ा है और कितने गल्ले की क्षति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सोमल ताल में दोनों मिलों का गंदा पानी बरसाती पानी के साथ १५-७-६० को जाना शुरू हुआ और एक सप्ताह तक जाने के बाद बन्द हो गया। इस पानी से होने वाली क्षति का असर लगभग १२५ मनुष्यों पर पड़ा है और लगभग ७५ एकड़ भूमि की फसल को कुछ क्षति की संभावना है ।

*६१-६२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कैदियों के लिये कृषि प्रशिक्षण योजना

*६३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५५-५६ की उत्तर प्रदेश जेल उद्योग जांच समिति ने कैदियों को कृषि प्रशिक्षण दिये जाने के साथ ही ३० एकड़ से ५० एकड़ तक के छोटे-छोटे कृषि फार्म जेल के अन्तर्गत स्थापित किये जाने की भी सिफारिश की है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां ।

*६४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त योजना प्रदेश की किन-किन जेलों में चालू किये जाने का वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में निश्चय किया गया है और क्या निश्चित की गई जेलों में से अगस्त, १९६० तक किसी जेल में उपरोक्त योजना अमल में लायी जा चुकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में केन्द्रीय कारागार बरेली, वाराणसी, नैनी, फतेहगढ़ और जिला कारागार मेरठ में इस योजना को चलाने का इरादा है परन्तु कुछ कारणवश इस योजना को अभी तक किसी जेल में अमल में नहीं लाया जा सका है।

*६५—श्री मन्नालाल—[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६६—श्री गयाप्रसाद—[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६७-६८—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा पर व्यय

*६९—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाओं के विस्तार पर जो तीस करोड़ रुपया व्यय करने की योजना बनाई गई है, उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा में कितना व्यय किया जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह अभी निश्चय नहीं हुआ है ।

आजमगढ़ जिले में प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइयां खोलने की योजना

*७०—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में १९६०-६१ में किन-किन स्थानों पर प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइयां खोलने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९६०-६१ में आजमगढ़ जिले के दो ब्लाकों-(१) मेहनगर, (२) अहिरौला ब्लाक हेडक्वार्टरों में नियोजन विभाग द्वारा प्रारंभिक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है, तथा बिलरियागंज और तहवरपुर में स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण करने के आदेश प्रसारित हो चुके हैं।

जौनपुर जिले में महिला मंगल योजनान्तर्गत कार्य

*७१—श्री रामलखनसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जौनपुर जिले में ग्राम तथा नगर में महिला मंगल योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितने केन्द्र खोले गये हैं, उनमें इतने समय में कौन-कौन से कार्य किये गये तथा कितना रुपया वित्तीय वर्ष १९५८-५९ तथा १९५९-६० में खर्च किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जौनपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में २४ केन्द्र स्थापित किये गये। नगर में कोई केन्द्र नहीं खोला गया। इन केन्द्रों में बालकों को बालबाड़ी की शिक्षा, प्रौढ़ महिलाओं को सामान्य शिक्षा, दस्तकारी एवं उद्योग-धंधे की शिक्षा दी गई, हस्तकला की अनेक वस्तुयें निर्मित की गई तथा सूत की गुन्डी तैयार की गई। वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में २५,५८५·१९ रु० तथा १९५९-६० में २३,७५६·८३ रु० व्यय किये गये।

उदेश्वर प्रबन्धक समिति, ज्वालापुर सम्बन्धित शिकायतें

*७२—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उदेश्वर प्रबंधक समिति ज्वालापुर, जिला सहारनपुर के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें जिलाधीश सहारनपुर को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां। शिकायतों की जांच रेजिडेन्ट मैजिस्ट्रेट, हरद्वार के द्वारा कराने पर ज्ञात हुआ कि विषय दीवानी न्यायालय से तय हो सकता है। अतः प्रार्थी को सूचित किया गया कि वह यथायोग्य कार्यवाही न्यायालय में करे।

गोरखपुर जिले में मालगुजारी व तकावी की वसूली में अनियमितता

*७३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोरखपुर जिले की तहसीलों में तकावी व मालगुजारी की वसूली की पोस्टिंग ठीक ढंग से तहसील लेजरों में नहीं हो पायी है जिससे डिमान्ड रजिस्टर ठीक नहीं हो पाया है और किसानों से दुबारा उस रकम की मांग होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आवश्यक सूचना नत्थी "क" पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६९९ पर)

*७४—श्री अब्दुल रऊफ लारी—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलग-अलग तहसील में कितने-कितने रुपये की ऐसी गड़बड़ी कब से है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आवश्यक सूचना नत्थी "ख" पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६९९ पर)

*७५—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त गड़बड़ी को ठीक करने के लिये सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आवश्यक सूचना नत्थी "ग" पर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६९९ पर)

*७६—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७७—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

फरेंदा तहसील में अमीनों का वेतन न मिलने की शिकायत

*७८—श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के अमीनों का वेतन जून १९६० का अभी तक नहीं मिल सका है? यदि हां तो कारण क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहगढ़ की जेलों में नलकूप लगाने की योजना

*७९—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला फर्रुखाबाद में सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ तथा जिला जेल, फतेहगढ़ में नलकूप तथा बिजली द्वारा चालित आटा चक्कियां लगाने पर विचार कर रही है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इन जेलों में नलकूप लगाने का प्रश्न तो सरकार के विचाराधीन है किन्तु बिजली द्वारा चालित आटा चक्की लगाने का नहीं ।

*८०-८१—श्री शिवप्रसाद नागर—[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८२—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री बलदेवसिंह—[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

सी० एल० आर० डी० योजनान्तर्गत अनुमानित आय

*८३—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह तथा श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि सी० एल० आर० डी० योजना के अनुसार सरकार को इस वित्तीय वर्ष में कितना बकाया और हाल में आमदनी होने का अनुमान है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक सी० एल० आर० डी० योजना के अन्तर्गत बकाया में लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये की और मालगुजारी की वार्षिक मांग में लगभग साठ लाख रुपये की वास्तविक वृद्धियों के निकलने का अनुमान है ।

*८४—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री बलदेवसिंह—[दसवें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*८५—श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन)—[दसवें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।]

मधुबन अस्पताल में घायलों से फीस लेने की शिकायत

*८६—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास अगस्त, १९६० में जिला आजमगढ़ में मधुबन अस्पताल में पुलिस द्वारा भेजे गये मजरूबों से धमकी देकर फीस वसूल किये जाने की कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, इस शिकायत की जांच की जा रही है ।

*८७—श्री टीकाराम—[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*८८-८९—श्री टीकाराम—[१३ अक्तूबर, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये ।]

हाथरस तहसील में वर्षा से हानि

*९०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (ला अलीगढ़)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस में गत वर्षों से किन-किन गावों में ५० प्रतिशत और ७५ प्रतिशत से अधिक कृषि को हानि हो गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सम्बन्धित गांवों की अनुसूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७००–७०२ पर)

*९१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक २६ व २७ अगस्त, १९६० की बाढ़ से अधिक हानि होने वाले गांवों की सूची जिलाधीश को दी गयी थी जिनका सर्वे कराने और उन गांवों के किसानों को राहत देने का आश्वासन भी दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हो सकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अधिक हानि वाले गांवों की कोई सूची जिलाधीश को प्राप्त नहीं हुई है । क्षतिग्रस्त ग्रामों के किसानों को जिलाधीश ने यह आश्वासन दिया था कि उन्हें मुनासिब सहूलियतें दी जावेंगी । पीड़ितों के सहायतार्थ अब तक तकावी, हाऊस सब्सीडी और अहेतुक सहायता के रूप में क्रमशः १७,००० रु०, ४,००० रु० और ६,००० रु० की धनराशियां बांटी जा चुकी हैं तथा लगान व मालगुजारी में सहायता देने के लिये अभी खातेवार नक्शे तैयार किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त उन खातों में, जिनमें क्षति की मात्रा का अनुमान रुपये में ५० नये पैसे और उससे अधिक है, तकावी और रबी १३६७ फसली की मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गई है ।

शाहजहांपुर जिले में किसानों को छूट की पर्चियां न मिलना

*९२—श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में सन् १३६७ फसली में रबी के लगान की छूट की पर्चियां किसानों को नहीं दी गईं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां । रबी १३६७ फसली के लगान व मालगुजारी के छूट की पर्चियां जिला शाहजहांपुर में प्रशासकीय कारणों की वजह से नहीं बांटी गईं ।

निघासन तहसील में सरजू एवं शारदा का कटाव

*९३—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५९–६० में तहसील निघासन, जिला खीरी के किन-किन गांवों की कितनी-कितनी भूमि सरजू एवं शारदा नदी से कट गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आवश्यक सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७०३ पर)

*९४—श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त वर्षों में किन-किन गांवों के कितने-कितने घर कट गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त वर्षा में किसी ग्राम का कोई घर नहीं कटा ।

*९५—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त गांवों के निवासियों को बसाने में, कृषि योग्य भूमि दिलाने में तथा अन्य। कार की क्या-क्या सहायता सरकार ने दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लगभग सभी काश्तकारों के पास कटी हुई भूमि के अतिरिक्त और भी भूमि थी। अतः सन् १९५९–६० में उक्त ग्रामों के किसी निवासी को न तो अन्यत्र बसाने की आवश्यकता पड़ी और न कृषि योग्य भूमि दिलाने की। उक्त वित्तीय वर्ष में ५,७१५ रु० ५५ नये पैसे की छूट दी गई।

अतारांकित प्रश्न

भूमि सम्बन्धी हस्तान्तरण तथा दावे

१—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट, आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ), **श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर) तथा **श्री अब्दुल रऊफ लारी**—२८ जून, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम में सरकार कृपया बतायेगी कि १५ से २० अगस्त, १९५९ तक जिस भूमि का हस्तान्तरण (transfer) हुआ व जिस भूमि के दावे अदालत में दायर हुये उसमें से कितनी भूमि ऐसे खातेदारों की थी जिनकी जोत ४० एकड़ से अधिक थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१५ से २० अगस्त, १९५९ तक जो ८,१२० एकड़ भूमि हस्तांतरित हुई और जिस ४,४८२ एकड़ भूमि के बटवारे के दावे अदालतों में दायर हुए उसमें से क्रमशः २,२७१ और २,११६ एकड़ भूमि ऐसे खातेदारों की थी जिनकी जोत ४० एकड़ से अधिक थी।

समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य मंत्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने समाचार-पत्रों में घोषित कर दिया था कि त्यागपत्र दे देंगे और. . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठिए। मेरे पास आपका कामरोको प्रस्ताव भी आ चुका है। ऐसे विषय के ऊपर जो किसी राजनैतिक पार्टी के अन्तरंग संघर्ष से संबंधित हो, उसके ऊपर जब तक कि वह कार्यक्रम में बहस के लिये न रखा जाय, तब तक मैं उस विषय पर बहस की इजाजत नहीं दूंगा। हां, अगर आपकी इच्छा हो उस पार्टी में शामिल होने की तो उस पार्टी की मीटिंग में आप जांय और वहां बहस करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य तो सार्वजनिक है कि इस्तीफा दे देंगे। तो उन्हें देना चाहिये। उन्होंने पब्लिकली कहा कि इस्तीफा दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिए।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं। आज इसमें काफी भ्रम है कि जो सरकार आज सदन में जवाब दे रही है उसकी क्या हैसियत है? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर विश्वास नहीं है तो इस्तीफा दे देंगे, तो यह सरकार केयर-टेकर सरकार है या कांग्रेस पार्टी की सरकार है या हाउस की सरकार है, क्या है ?

श्री अध्यक्ष—इसे सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं इसका फैसला देता हूं। जब तक यह सदन मुख्य मंत्री या सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं पास करता तब तक वह यहां पर मंत्री रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक वह खुद नहीं कहते कि हमने इस्तीफा दिया। यदि वह इस्तीफा देंगे तो वह आपके सामने आएंगे और उसके बारे में कहेंगे। यही संविधान का नियम है और वह तो लागू है। रास्ते पर चलते हुए पार्टी आपस में लड़े तो उसका सवाल आप सदन में नहीं कर सकते।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २१५६–बी। ३०–९ (५२)–एच–५९, दिनांक ११ अगस्त १९६०, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि–विधि संशोधन विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश भूमि–विधि संशोधन विधेयक, १९६० की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७०४–७१० पर)

कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९६० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ५ मई, १९६० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २ अगस्त, १९६० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १० सितम्बर, १९६० को प्राप्त हो गई और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का १७ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६–५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ९ सितम्बर, १९६० की बैठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन–विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के १३ सितम्बर, १९६० को वापस प्राप्त हो गया, राज्यपाल महोदय की स्वीकृति १७ सितम्बर, १९६० को प्राप्त हो गई और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का १८ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ८ सितम्बर, १९६० की बैठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के १२ सितम्बर, १९६० को वापस प्राप्त हो गया, राज्यपाल महोदय की स्वीकृति १८ सितम्बर, १९६०को प्राप्त हो गई और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का १९ वां अधिनियम बन गया।

---

*छापे नहीं गये।

मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि मिनिमम वेजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३ अगस्त, १९६० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ अगस्त, १९६० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २६ सितम्बर, १९६० को प्राप्त हो गई और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का २० वां अधिनियम बन गया।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास ३ कामरोको प्रस्ताव आये थे जिनमें से २ एक ही विषय पर थे जो फिरोजाबाद की घटना के सम्बन्ध में थे। उनको मैंने नियम ५२ के अनुसार ध्यान आकृष्ट करने के लिये स्वीकार कर लिया ह और सम्बन्धित मंत्री जी से सदन को सूचना मिल जायगी और अगर कोई आवश्यकता फिर पड़ी तो आध घंटे की बहस हो सकती है लेकिन में उसे ऐसा विषय नहीं समझता जिसमें सरकार का कोई हाथ हो या उसकी जिम्मेदारी प्रत्यक्ष आ जाती है। इसलिये काम रोको प्रस्ताव का वह विषय नहीं हो सकता।

दूसरा प्रस्ताव श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने दिया है जो कांग्रेस पार्टी के अन्दर के झगड़े के सम्बन्ध में है। सदन के बाहर कोई वक्तव्य एक पक्ष दूसरे के सम्बन्ध में दे उस पर बहस यहां नहीं हो सकती है और इस विषय पर सदन विचार नहीं कर सकता। इसलिये वह विषय काम-रोको प्रस्ताव का नहीं बन सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—आप श्रीमन् मुझको सुन लेते। हमको दलबन्दी से कोई मतलब नहीं है हम तो उससे दूर रहना चाहते हैं और बहुमत दल कोई रहे जो अच्छी तरह से रन करे। लेकिन सोचना यह है कि माननीय मुख्य मंत्री ने एक सार्वजनिक बयान दिया।

श्री अध्यक्ष—यह कोई ऐसा फोरम नहीं ह, जहां आप अपनी इच्छानुसार बोलें। नियम के अनुसार ही आप यहां बोल सकत हैं। म आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं कि इस विषय पर बोलें जब तक यहां कोई सूचना सरकार की तरफ से नहीं आती है, सरकार स्वयं कोई वक्तव्य नहीं देती तब तक आप इस विषय पर बोल नहीं सकते। अखबार में छपी हुई बात पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—सार्वजनिक वक्तव्य छपा था इसलिये कामरोको प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष—वह मुख्य मंत्री का वक्तव्य नहीं था बल्कि पार्टी के एक नेता का था।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैंने नियम ५२ के अनुसार एक नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष—मैं उसी को ले रहा हूं।

फीरोजाबाद में रामलीला के जलूस पर बम फेंकने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—सर्वश्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल तथा भुवनेशभूषण शर्मा ने नियम ५२ के अनुसार जो प्रश्न दिया उस पर श्री भुवनेशभूषण शर्मा जी का पहले आया। इसलिये मैं उसी को पढ़ कर सुनाता हूं जो संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिये है। मैंने दोनों सूचनाएं संबंधित मंत्री के पास भेज दी हैं ।

"गत दिनों रामलीला के अवसर पर फीरोजाबाद में भगवान राम का डोला दिनांक १७ सितम्बर, १९६० को आ रहा था तो जामा मस्जिद से अनायास ही शान्तमय हिन्दू जनता पर बम फेंके जाने के कारण कितने ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, काफी व्यक्ति घायल हो गये और उसके पश्चात् हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना ने जोर पकड़ा, जिससे फीरोजाबाद नगर का ही नहीं समस्त उत्तर प्रदेश का जन-जीवन खतरे में पड़ गया, जिससे बहुत से व्यक्तियों की जानें गईं । अतः इस लोक हित के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर माननीय पुलिस मंत्री जी अपना वक्तव्य सदन में देने की कृपा करें ।"

माननीय गृह मंत्री जी कब तक इस सम्बन्ध में सूचना देंगे ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—आज तो सम्भव नहीं है । दो दिन तो चाहिये ही ।

श्री अध्यक्ष—अगर सोमवार को सदन बैठा तो उस दिन आप देंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, आपने कहा कि "अगर सोमवार को सदन बैठा तो" इस 'अगर' से आपका क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में तो मैं आज पूछूंगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैंने भी एक सूचना नियम ५२ के अन्दर दी थी । वहां बहुत ही अवस्था खराब है और अव्यवस्था है ।

श्री अध्यक्ष—मैं एक दिन में एक ही विषय ले सकता हूं । इससे अधिक नहीं ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैंने अभी विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में आपसे आज्ञा चाही थी । प्रक्रिया नियमावली के नियम ६५ के अन्तर्गत मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी हमारे इस सदन के माननीय नेता हैं और इस सदन ने न तो उनसे कोई ऐसी प्रार्थना की थी और न कोई अविश्वास का प्रस्ताव ही उनके विरुद्ध था जो स्वीकृत हुआ हो । फिर भी उन्होंने बिना सदन की अनुमति के सदन के बाहर एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने यह कहा कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का अपना समर्थित अध्यक्ष न चुने जाने पर वे मंत्री पद से त्याग पत्र दे देंगे. . . .

श्री अध्यक्ष—जब सदन में उन्होंने बयान ही नहीं दिया तो आप हमको इस सम्बन्ध में लिखकर भेजिये ।

श्री देवनारायण भारतीय—मेरा निवेदन तो आज केवल इतना ही है कि इस तरह से उन्होंने सदन का अवमान किया है और यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है ।

श्री अध्यक्ष—आप लिखकर ही सूचना दे दीजिये ।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं लिखकर सूचना देने के लिये नोटिस दे रहा हूं । बाद में लिखकर भेज दूंगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा. . . .

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह तो मैं जानता हूं कि आप मुझे इजाजत देंगे ही नहीं । यद्यपि मैं आज ही बहुत दिनों के बाद जेल से छूटकर सदन में आया हूं । अगर आप इजाजत दें तो . . . .

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप दूसरों के घरेलू मामलों में दिलचस्पी लेना चाहते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, हमें किसी के घरेलू मामलों में दिलचस्पी नहीं है । माननीय चरणसिंह के खिलाफ भी हम सार्वजनिक घोषणा के बाद वक्तव्य न देने पर प्रिविलेज मोशन लाये थे । अब माननीय मुख्य मंत्री का प्रश्न है । हमारा तो जनतांत्रिक मर्यादा कायम रखना व न्याय पर रहना काम है । श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी या किसी अन्य मंत्री ने यहां सदन में आज यह नहीं कहा कि उन्हें सदन का विश्वास प्राप्त है, फिर भी इस विषय में बोलने की श्रीमन्, मुझे इजाजत नहीं देते हैं, इसलिये इस अल्पमत वाली सरकार के द्वारा विधायन कार्य के विरोध में हम इस सदन से अपने दल के साथ वहिर्गमन करते हैं ।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन का त्याग करके चले गये ।)

ग्राम नाहिल, जिला शाहजहांपुर में दो चमारों की हत्या से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब श्री यमुना प्रसाद शुक्ल, मन्नालाल तथा गोविन्दसिंह विष्ट द्वारा दिनांक १७ अगस्त, १९६० को दी गई सूचना पर ग्राम नाहिल, थाना पुवायां, जिला शाहजहांपुर में २ चमारों को मार डालने तथा उनका शव जला देने आदि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य होगा ।

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, यह घटना है ९ सितम्बर, १९६० को । गांव नाहिल, थाना पुवायां, शाहजहांपुर जिले की यह घटना है । इस गांव में पार्टी-बन्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी । श्रीकृष्ण की एक पार्टी थी और दूसरी शेरसिंह और रामशरण की थी । १७ अगस्त, १९६० को शेरसिंह और भानुप्रताप सिंह ने श्रीकृष्ण को किसी नाजायज हथियार से मारने का प्रयत्न किया ।

श्री अध्यक्ष—आपने क्या कहा "नाजायज हथियार", इसके क्या माने ?

श्री रामस्वरूप यादव—"नाजायज" के माने अनअथराइज्ड ।

कुछ सदस्य—जायज हथियार क्या होता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जायज हथियार होता है जिसके लिये लाइसेन्स होता है, उसके बाद ३०७ भारतीय दंड विधान का एक मुकदमा भानुप्रतापसिंह के खिलाफ दर्ज हुआ । उसकी जांच सब इंस्पेक्टर कर रहे थे । उन्होंने ६ सितम्बर, १९६० को गोविन्दसिंह भज्जा और भाईलाल का बयान लिया, जिन्होंने यह बयान दिया कि शेरसिंह और भानुप्रतापसिंह ने इस तरह से आक्रमण श्रीकृष्ण पर किया है । यह जब उन लोगों को पता चल गया तो ९ सितम्बर, १९६० को ८ और ९ बजे के बीच में शेरसिंह और भानुप्रतापसिंह ने २० आदमियों के साथ ऐसे असलहा लेकर, जिनके लिये उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था और कांता वगैरह लेकर, भज्जा और भाईलाल के मकान को घेर लिया और उन्होंने बन्दूक चलाना शुरू कर दिया और ज्योति जो वहां पर था उसके चोटें आईं । भज्जा और भाईलाल ने भागने की कोशिश की और उन्होंने एक कमरे में तीन व्यक्तियों के साथ अपने को बन्द कर लिया । शेरसिंह तथा भानुप्रतापसिंह ने अपने दल के साथ मकान के किवाड़ों को तोड़ने की कोशिश की लेकिन फिर वे छत पर चढ़ गये और छत पर चढ़ कर उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया । भज्जा और दूसरे यह देखकर बाहर भागे, कमरा खोल कर । शेर सिंह ने बन्दूक चलाई जिससे वे दोनों गिर पड़े और बाकी जो लोग थे उन्होंने कांते और लाठी से उनको मार गिराया । लकड़ी और फूस डाल कर उनके शव को आग लगा दी । उसके बाद वे लोग भाग गये । फौरन कुछ लोगों ने उनके जो डैड बाडीज जल रहे थे उनकी अग्नि को बुझाया । रिपोर्ट १०, ११ के बीच में थाने पर पहुंची । फौरन सर्किल इंस्पेक्टर वहां पर पहुंचे और उन्होंने शवों को जो पूरे नहीं जले थे पोस्ट मार्टम के लिये भेज दिया और दो आर्म्ड गार्ड तथा एक सब-इंस्पेक्टर को वहां पोस्ट कर दिया । एस० पी० ने भी उस मौके को देखा । २२ मुलजिमों को बतलाया जाता है कि गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी के खिलाफ कार्यवाही हुई जिनमें १५ आदमियों ने अपने को अदालत के सामने हाजिर कर दिया । बाकी लोगों को गिरफ्तार करने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है । वैसे तो गांव में शान्ति है इतना मैं और निवेदन कर दूं कि सन् १९५९ में ५ बार स्थानीय पुलिस ने धारा १०७/११७ सी० आर० पी० सी० में मुकदमे चलाये लेकिन तसफिया करके मुकदमों को खारिज करा लिया गया । पोस्टमार्टम जांच जो हुई है उसमें भज्जा की मृत्यु गोली के हेमरेज से हुई है और भाईलाल की मृत्यु बहुत सी चोटें लगने से हुई है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ये जो ब्रूटल मर्डर हुये हैं इससे पहले पुलिस और प्रशासन अधिकारियों को इत्तला दी गई थी कि उनकी जान खतरे में है और उसके लिये सुरक्षा का उपाय किया जाय लेकिन कुछ नहीं किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह बतलाना संभव नहीं है कि जान खतरे में थी । कोई आवेदन-पत्र दिया हो, ऐसा संभव है; लेकिन ५९ में इन पार्टियों में झगड़े की वजह से ५ बार १०७/११७ के मातहत मुकदमें चलाये गये । इससे जाहिर होता है कि वहां पुलिस यह देख रही थी कि इन लोगों में झगड़ा न हो ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—ये जो मुकदमे चलाये गये उनमें शेरसिंह तथा उनके दल से पुलिस मिली हुई थी जिसकी वजह से १०७/११७ के मुकदमे खारिज हुये, क्या माननीय मंत्री इसके बारे में जांच करायेंगे ताकि पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी कोई शिकायत वहां के पुलिस के खिलाफ दी जायगी तो जांच करायेंगे ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे जैसा उन्होंने बतलाया कि ५ बार मुकदमे १०७/११७ में चलाये गये तो दोनों पार्टियों के लोगों को दफा १५१ के मातहत मौके पर गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस घटना के प्रसंग में मैंने निवेदन कर दिया था कि पुलिस ने क्या कार्यवाही की । बहरहाल, १५१ के मातहत गिरफ्तार हुये कौन-कौन मुलजिम थे, यह बतलाना मेरे लिये संभव नहीं है ।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शेर सिंह और उनके साथियों ने जिन नाजायज हथियारों से पहली दफा हमला किया था जिसकी जांच सर्किल इंस्पेक्टर कर रहे थे और जिसमें मरने वाले गवाह थे, तो वे लोग नाजायज हथियार इस्तेमाल करने में गिरफ्तार क्यों नहीं किये गये और वे हथियार छीने क्यों नहीं गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—शायद माननीय सदस्य उस वक्त तारीखों को सुन नहीं पाये । ३०७ के केस में जो गवाही की तारीख थी वह ६ सितम्बर, १९६० थी जिसमें भज्जा और भाईलाल गवाह थे । उससे पहले ३०७ का मुकदमा दर्ज हो चुका था और उस नोटिस के बाद नियम के अनुसार यह प्रयत्न किया गया था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाय लेकिन वह गिरफ्तार नहीं हो सके ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय मंत्री जी ने अभी जो बयान पढ़ा उसमें उन्होंने कहा कि पांच मुकदमे खारिज करा लिये गये । तो वे असर डाल कर खारिज करा लिये गये या सुलहनामा दाखिल करके खारिज कराये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—लिखित तसफिया उनमें दाखिल हो गया । उसमें दोनों ही काम हो सकते हैं । बाहर के लोग भी असर डाल सकते हैं और समझौता भी करा सकते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—जब पुलिस को यह मालूम था कि उन लोगों में इतनी दुश्मनी है कि पांच-पांच मुकदमें चल चुके हैं और यह भी मालूम था कि जिनके पास नाजायज हथियार हैं वे फरार हैं तो उसने इन लोगों के बचाव के लिये क्या प्रयत्न किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इस प्रश्न में दो हिस्से हैं अलग-अलग । एक तो यह कि पुलिस को मालूम था कि पार्टीबन्दी है और उसके लिये धारा १०७/११७ ही है और धारा १५१ गिरफ्तारी से सम्बन्धित है । उसके बारे में तो पुलिस कार्यवाही कर रही थी । नाजायज असलहा का इल्म पहले से नहीं था । यह तो उस दिन पता चला जिस दिन गोली चली कि वह असलहा नाजायज है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—हमलावर गिरोह के नेता जो शेरसिंह थे और जो अनलाइसेन्स्ड हथियार थे, तो क्या अब तक शेरसिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है और अनलाइसेन्स्ड हथियारों को पुलिस ने बरामद कर लिया है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—पूरी सूचना मेरे पास नहीं है कि क्या-क्या रिकवरी हुई है ।

भावी कार्यक्रम के बारे में जानकारी

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, नेता सदन के स्थान पर जो भी हों उनसे सदन इस हफ्ते का प्रोग्राम जानना चाहता है ।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी इस वक्त एक बहुत जरूरी काम से कानपुर गये हैं, चार बजे तक आ जायेंगे और प्रोग्राम खुद ही बता देंगे ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—श्रीमन्, मेरे १३-९-६० के प्रश्न पर आधा घंटे डिस्कशन के लिये आज का समय निश्चित हुआ था लेकिन एजेन्डे में उसका आज कहीं जिक्र नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आज वह नहीं आ सकेंगे, इसलिये कल के लिये मैंने उसको मुल्तवी कर दिया है । तो वह कल लिया जायगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—इस हफ्ते का प्रोग्राम क्या है, यानी आज का और कल का तो आज शाम को बता देंगे, लेकिन आपने जो यह कहा था कि यदि अधिवेशन सोमवार को हुआ. . . . .

श्री अध्यक्ष—वही शाम को बतायेंगे । आज और कल का प्रोग्राम तो आपके सामने निश्चित है, अगले हफ्ते का ही सवाल है ।

२८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न ७८ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, २८ अप्रैल, १९६० को श्री देवकीनन्दन विभव के तारांकित प्रश्न संख्या ७८ से सम्बन्धित श्री शिव प्रसाद नागर ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार को पता है कि सिर्फ कानपुर व आगरा के सरकारी डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने की मनाही की गई है तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के जितने अस्पतालों के डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनको भी मनाही की जायगी क्योंकि वे प्राइवेट प्रैक्टिस में अस्पतालों की ही दवा इस्तेमाल करते हैं । उस दिन सदन में उक्त प्रश्न का यह उत्तर दिया गया था कि :—

यह सब विचाराधीन है ।

यह उत्तर ठीक नहीं था और सही उत्तर इस प्रकार है :—

केवल प्रदेश के तीनों मेडिकल कालेजों के उन डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है जिन्हें अभी प्राइवेट प्रैक्टिस करने की आज्ञा है । सरकारी अस्पतालों के डाक्टर अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में अस्पतालों की दवा प्रयोग नहीं करते हैं और उसके मनाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मूल प्रश्न ७८ तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७११–७१३ पर ।)

हरकोर्ट बटलर टेक्नोलोजीकल इंस्टीट्यूट, कानपुर, की परामर्शदात्री समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजीकल इंस्टीट्यूट, कानपुर, की परामर्शदात्री समिति (Advisory Committee) में श्री एस० जी० दत्त, सदस्य विधान सभा, का कार्यकाल, दिनांक ३१ जुलाई, १९६० को समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिये विधान सभा के एक सदस्य का चुनाव करे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं और उनके नाम पर जब कई मुख्य मंत्री उपस्थित हैं तो क्या हर एक को मुख्य मंत्री के अख्तियारात ग्रेलीगेट किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—अगर वह किसी को खास काम कह गये हों तो वह उस काम को कर सकता है। अगर आपको कहा जाय तो आप भी कर सकते हैं।

प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, हरकोर्ट बटलर टैक्नोलजीकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति में श्री एस० जी० दत्त, सदस्य विधान सभा, का कार्यकाल, दिनांक ३१ जुलाई, १९६० को समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिये विधान सभा के एक सदस्य का चुनाव करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६०*

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० (Uttar Pradesh Co-operative Societies Bill, 1960) को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० (Uttar Pradesh Co-operative Societies Bill, 1960) को पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक १९६० (Uttar Pradesh Co-operative Societies Bill, 1960) को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सैपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६०

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६० [Uttar Pradesh Evacuee(Separation)Supplementary Bill, 1960] को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सैपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६० [Uttar Pradesh Evacuee (Separation) Supplementary Bill, 1960] को पुरस्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६० [Uttar Pradesh Evacuee(Separation)Supplementary Bill, 1960] को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ७१४–७१५ पर।)

---

*छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की नियम समिति (१९६०-६१) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर विचार

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की नियम समिति (१९६०-६१) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार जारी होगा।

इसमें पहले नियम १६ का है, वह यह है :—

"नियम १६ के उपनियम (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "पूर्वान्ह से" के पश्चात् और "५ बजे अपरान्ह" के पूर्व निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं:—

"एक बजे अपरान्ह तक और फिर दो बजे अपरान्ह से"।

इस संशोधन का मतलब यह है कि बीच में एक घंटा लंच का टाइम दिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं कि प्रस्तावित संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

नियम १६ के उपनियम (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द तथा अंक "११ बजे पूर्वान्ह से ५ बजे" के स्थान पर शब्द "साढ़े दस बजे पूर्वान्ह से १ बजे तक और दो बजे से साढ़े पांच बजे" रख दिये जायं।

नियम १६ म नियम समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"डेढ़ बजे अपरान्ह तक और फिर दो बजे अपरान्ह से।"

श्री अध्यक्ष—दो संशोधन एक साथ और परस्पर विरोधी ! एक में तो आप एक बजे तक बैठना चाहते हैं और दूसरे में डेढ़ बजे तक बैठना चाहते हैं। आप यह कहिये कि आप के ये आल्टरनेटिव संशोधन हैं या अगर पहला फेल हो गया तो दूसरा लेना चाहते हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—वह उसके साथ छपा था, जल्दी में उसे पढ़ गया।

श्रीमन्, इसके विषय में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो नियम समिति का प्रस्ताव है उसके अनुसार हमारा जो लंच आवर हुआ करता था और जिसको इस आदरणीय सदन ने खत्म कर दिया था, वह फिर रिवाइज किया जा रहा है। आदरणीय सदन ने जो लंच आवर खत्म किया था उसका मंशा यह था कि अधिक सदस्य इस आदरणीय सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें। तो, श्रीमन्, यह सारे हाउस की एक मत की राय थी कि यह सदन ११ बजे से ५ बजे तक बैठे, यानी छः घन्टे बैठे, छः घंटे रोज कार्यक्रम हुआ करेगा, एक दिन में। अगर ४०० आदरणीय सदस्यों का खर्चा लगाया जाय, दस रुपये रोज के हिसाब से तो ४,००० पया होता है। उसके अलावा ३० मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं, और न मालूम कौन सी जाति आगे पैदा होने वाली है।

श्री अध्यक्ष—माननीय मोतीलाल अवस्थी का संशोधन भी आपने मूव कर दिया। वह आपके नाम का है ही नहीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—तो उसको डिलीट कर दिया जाय। श्रीमन् जी, मेरा संशोधन है, उससे जनता की सेवा करने का ज्यादा मौका मिलता है। इसी सिद्धांत को ले कर लंच पीरियड खत्म किया गया था। उसमें यह सुविधा दी गयी थी कि उस बीच में कोरम का सवाल नहीं होगा और वोटिंग नहीं होगी। लेकिन पब्लिक प्रोसीडिंज वेंटीलेट करेंगे। इसलिये यह समय बढ़ाया गया था। उसको सदन निर्विवाद स्वीकार कर चुका। अब आगे जो संशोधन आया है, इसमें हाउस बैठा हुआ है कि लंच आवर होना चाहिये या नहीं होना चाहिये। इन दोनों के बीच एक वाया मीडिया मैंने निकाला है कि हाउस का समय भी बढ़े और लंच आवर भी रहे। उससे यह होगा कि हम लोगों को बोलने का मौका मिलेगा,

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

क्योंकि असेम्बली का १० हजार पये रोज का खर्चा है, जब असेम्बली पर इतना खर्चा होता है और सदन जनता की पूरी सेवा न कर पाये, तो यह उचित नहीं होगा। फिर यहां पर दिन भर रहना सदस्यों के लिये मंडेटरी तो है नहीं। इस समय लंच आवर नहीं है लेकिन देखिये, कितने ही माननीय सदस्यों को सदन में बैठना पसन्द नहीं आया है, क्योंकि यह तो अपनी स्वतः की इच्छा के ऊपर है जब चाहें आयें, जब चाहें बैठें, या चले जायं, कोई नौकरी तो है नहीं। जब यह व्यवस्था है तो भाई लोग बिना लंच के होते हुए भी लंच की तरह ही उठ जाते हैं। फिर और लोग जो यहां पर सेवा करना चाहते हैं और बड़े-बड़े विद्वान मोती लाल अवस्थी जैसे हैं जो बहुत ही अध्ययन करके आते हैं, उनके लिये समय कहां से आयेगा? उधर से दीप-नारायणमणि जी हैं। तो इन लोगों के लिये टाइम की गुंजायइश भी हमें रखनी पड़ेगी। इन सब बातों को देखते हुए मैं आपके द्वारा नेता सदन से भी यह प्रार्थना करूंगा कि वह इसे मान लें जिससे कि लंच आवर भी रह जाय और जो लोग बैठना चाहें बैठें, न चाहें उनके लिये तो हमेशा स्वतंत्रता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गोविन्द सिंह विष्ट द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। जब पहले सदन ११ बजे से ५ बजे तक बैठा करता था और बीच में १ घंटे लंच के लिये हम उठते थे तब नियम में परिवर्तन के ऊपर जब हम विचार कर रहे थे नियम समिति के अन्दर तो हमने इस बात को उचित समझा कि जबकि हमारे प्रदेश के अन्दर सभी लोग कम से कम ६ घंटे काम करते हैं तो हमारे लिये भी यह उचित है कि छः घंटे काम करें ताकि अधिक से अधिक काम अपना हम कर सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने समय को बढ़ाया था कि जिस बात को हम पूरे देशमें लागू करते हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी और मिलों के मजदूर वगैरह सभी कम से कम ६ घंटे काम करते हैं तो हम लोग जो नियम और कानून बनाने वाले हैं हमें भी उस बात का ध्यान रखना चाहिये और कम से कम ६ घंटे काम करना चाहिये। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ६ घंटे काम करने का निर्णय हमने किया था। उसके अन्दर यह निर्णय हुआ कि बीच में एक घंटा लंच के लिये हम नहीं उठेंगे। यह एक एक्सपेरिमेंट के तरीके था। उसको हमने देखा। पिछले एक साल डेढ़ साल के अन्दर हम जिस बात को चाहते थे उसमें असुविधा हुई। हमारे दो मकसद थे। एक तो यह कि हम ६ घंटे काम करें और दूसरे यह कि अधिक से अधिक लोगों को मौका मिल सके, अधिक से अधिक लोग विवादों में हिस्सा ले सकें। इसमें दिक्कत यह पड़ी है कि एक घंटा जो लंच का था उसमें अधिकांश सदस्य सदन में नहीं रहते। उसके लिये हमने यह परम्परा कायम की कि कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जायगा। तो उस समय कोरम भी नहीं रहता। लेकिन परम्परा के निर्वाह के लिये चाहे हम प्रश्न न उठायें मगर यह बात उचित नहीं लगती और यह बड़ी अशोभनीय बात है कि हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते हों और सदन में कोरम भी न हो। और यह सुविधा की दृष्टि से हुआ था।

तो यह जो प्रस्ताव आया है कि लंच के लिये एक घंटा उठें उसमें किसी का विरोध नहीं है, और इस संशोधन से भी उसका विरोध नहीं होता है। लेकिन उससे हमारी जो मंशा थी कि सदन का समय भी ६ घंटे का हो जाय और अधिक से अधिक सदस्य विवाद में हिस्सा ले सकें, वह दोनों मंशा इससे पूरी होती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन उचित है और इसको मान लेना चाहिये। जो परम्परा हमने बनायी है उसका पालन होना चाहिये।

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल्स रिवाइजिंग कमेटी ने तमाम बातों पर विचार करने के बाद अपना प्रस्ताव इस सदन के सामने भेजा है। मैंने अपने मित्रों के भाषण सुने। मालूम होता है कि कुछ इख्तलाफ राय आपस में है। मेरा तो यह सुझाव होगा कि यह सवालात कल तक के लिये मुल्तवी कर दिये जायं और फिर हर ग्रुप के लीडरों से परामर्श कर लिया जाय ताकि ऐग्रीड फारमूला अगर निकल जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

(विचार अगले दिन के लिये स्थगित हुआ।)

इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अधीन प्रख्यापित विनियमों में संशोधन

श्री अध्यक्ष—अब इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में प्राप्त संशोधनों पर विचार होगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, इसके सिलसिले में एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम बने थे इनके पहले एक सूची उनकी प्रकाशित हुई थी...

श्री अध्यक्ष—मैं पहले इनके नाम तो ले लूं।

(संशोधनों की सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारे गये किन्तु वे अनुपस्थित थे।)

श्री गौरीशंकर राय—उसमें एक बात छूट गई है। इसके पहले नियम कुछ प्रकाशित हुये थे। उनमें मैंने संशोधन दिया था। उसके बाद वह इस सदन में विचारार्थ पेश नहीं हो सके। नहीं मालूम उनका क्या हुआ। पता नहीं उन नियमों के सम्बन्ध में मेरे संशोधनों पर विचार किया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—उस समय बात यह हो गई थी कि सदन का सत्रावसान हो गया था, प्रोरोगेशन हो गया था। इस कारण लाचारी थी। उन पर विचार के लिये मैं फिर से आज्ञा नहीं दे सकता था क्योंकि सत्रावसान से सब नोटिस खत्म हो जाते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—तो उसमें हमारा जो विचार करने का अधिकार था वह भी खत्म हो जाता है ?

श्री अध्यक्ष—सत्रावसान के पश्चात् इस प्रकार के अधिकार सब खत्म हो जाते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—उसका आपके यहां कोई उपाय है ?

श्री अध्यक्ष—मैंने संशोधनों को गवर्नमेंट को भेज दिया था और कहा था कि जो वे स्वीकार करना चाहें स्वीकार कर लें।

श्री गौरीशंकर राय—मैं सरकार को यह सुझाव दिया था कि जो ये मेरे संशोधन हैं इनके ऊपर विचार विनिमय कर लिया जाय। उनकी राय के ऊपर ही इसको छोड़ दिया था। सदन में तो वह नहीं आ सके क्योंकि लाचारी थी और बाहर भी विचार नहीं हो सका परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके ऊपर कुछ विचार किया गया।

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मैं इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष—जब माननीय गृह मंत्री आवें तब उनसे बात हो।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६०*

वित्त मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार किया जाय। इसमें जो संशोधन पेश किये जा रहे हैं उसके दो मुख्य मतलब हैं।

---

*११ अगस्त, १९६० की कार्यवाही में छपा है।

[श्री सैयद अली जहीर]

पहला तो यह है कि डिजाल्व्ड फर्म्स में सेल्स टैक्स लेने का कोई प्राविजन उसमें नहीं था। सन् १९५७ में इसमें कुछ ऐसे फैसले हाई कोर्ट के हुए जिनसे मालूम हुआ कि कुछ कमी रह गई थी। वह कमी दो तरफ की थी। एक तो यह कि जो उसके पहले फर्म डिजाल्व हो चुकी है पहले का जो असेसमेंट ईयर है उसका असेस्मेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिये उसमें कोई सुझाव नहीं था।

दूसरे यह कि जब तरमीम की गई उसमें यह हुआ कि जिस साल वह डिसकंटीन्यू करे वे लोग उस साल का ले सकते हैं या नहीं। उसके पहले जो सेल्स टैक्स वाजिबुलअदा हो चुका है उसका असेसमेंट किया जा सकता है या नहीं। इन दोनों कमियों को पूरा करने के लिये यह बिल रखा गया है।

एक बात और इसमें की गई है कि जो रूल बनाने की क्लाज है उसमें एक और दफा बढ़ाई जा रही है जिसके जरिये से सरकार यह अधिकार ले रही है कि दरख्वास्त असेसिंग अथारिटी, असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर या सेल्स टैक्स कमिश्नर के सामने दी जाय या अपील के अधिकारी को पेश की जाय, निगरानी के लिये उसके सामने पेश की जाय या रिवाइजिंग अथारिटी की दरख्वास्त अपील के लिये दी जाय, तो इन तमाम दरख्वास्तों पर कुछ फीस मुकर्रर की जाय। यहां पर मैं यह भी साफ कर दूं कि सरकार की यह नीति नहीं है कि ऐसी किस्म की मामूली दरख्वास्तों पर जैसे तारीख बढ़ाना या और कोई इत्तिला मांगने की दरख्वास्तों पर इस किस्म की फीस लगाई जाय बल्कि जो निगरानी के लिये आवें उनके ऊपर या सेल्स टैक्स कम करने के लिये जो दरख्वास्तें आवें उसमें ऐसी कोर्ट फीस लेने का इरादा है कि उनसे फीस ली जाय।

जो यह फीस लगाने की तजवीज है इस ऐक्ट में रखने की उसकी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उसको इसमें रखा गया है और वह बहुत मामूली है। मसलन् जो दफ़ा ९ में अपील हों उनके ऊपर एक फीसदी और कम एक रुपया से और ज्यादा से ज्यादा ५० रुपया। इसी तरह से जो निगरानी की दरख्वास्त होगी उसके ऊपर दफा १० में ५ फी सदी और कम से कम ५ रुपया और ज्यादा से ज्यादा १,००० रुपया है। अगर कोई और किस्म की दरख्वास्त हो कि जो सेल्स टैक्स के अफसर या असिस्टेंट कमिश्नर को दी जाय तो उस पर एक रुपये की कोर्ट फीस और अगर कोई दूसरी दरख्वास्त हो जो एडीशनल, ज्वाइंट या डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स या जज रिवीजन्स को दी जाय तो उस पर २ रुपये की कोर्ट फीस लगेगी और इसकी जरूरत इस वजह से हुई कि काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिसे हमारे अफसर, उनकी तदाद बढ़ा देने के बाद भी, पूरा नहीं कर पाते। इतनी बेकारी की दरख्वास्तें गुजरती हैं कि कुछ कहना नहीं। हालांकि हमने अफसर बढ़ा दिये हैं लेकिन अफसरान का काम बहुत बढ़ जाता है। चूंकि फीस नहीं है इसलिये मामूली-मामूली बातों के लिये भी दरख्वास्त दे दी जाती है और उसमें अफसरान का वक्त जाया होता है, इसलिये यह नीति अपनायी गयी है। हम नहीं चाहते कि सख्ती हो या किसी किस्म की ज्यादती हो, लेकिन जैसा कि मैंने बतलाया उन मकसदों के लिये यह बिल लाया गया है और मुझे उम्मीद है कि माननीय सदन इसे मंजूर करेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, सन् १९४८ से, जब से यह विधेयक पहली बार प्रस्तुत किया गया, आज तक इसमें १८ या २० बार संशोधन किया जा चुका है और हर बार इसीलिये संशोधन लाया गया कि कुछ शंका रह गयी है या हाई कोर्ट ने किसी सेक्शन को अल्ट्रा वायरस करार दे दिया या उसकी रूलिंग ऐसी हो गई है। हमने यहां एक दिन मांग की थी कि इतना हेस्टी लेजिस्लेशन किया जाता

है कि जिसके कारण यह तमाम खराबियां रह जाती हैं और धाराओं पर ठीक से विचार नहीं हो पाता। इस आदरणीय सदन की बड़ाई को नतमस्तक होता हुआ भी मैं इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि हम एक डिबेटिंग सोसाइटी के मूड में रहते हैं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इस समय कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस बिल में बार-बार संशोधन आते रहते हैं और कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब कि इस पर एक सर्वांगीण रूप से विचार हो सके तथा इसकी परिधि वगैरह बढ़ाई जा सके। इसकी जो खामियां हैं उन पर भी विचार करने का मौका नहीं मिला है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने अपना संशोधन रखा है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि इस पर विचार हो जाय।

श्रीमन्, उद्देश्य और कारणों में एक बात और प्रकट की गयी है और कुछ संदेह प्रकट किया गया है। श्रीमन्, होना यह चाहिये था कि उन बातों को हमारे सामने रखा जाता जिसके कारण संदेह पैदा हुआ है। माननीय मंत्री जी को इस सदन को कान्फीडेन्स में लेने के लिये सारी बातों को हमें बताना चाहिये। यदि हाई कोर्ट वगैरह की कोई नजीर होती, तो उसे भी हमारे सामने रखना चाहिये था। जो भी और पेपर्स हों, उन्हें भी रखना चाहिये था। मैंने इस विषय में काफी छानबीन की, कई रेलीवेन्ट पेपर्स देखे, पर मुझे कहीं कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं दिया जहां कोई ऐसी बात हो जिसके कारण सन्देह पैदा हो। तो जब हमें कोई बात पता ही न हो, डाक्टर को जब तक कोई मर्ज बताया ही न जाय, तब तक वह उसका इलाज कैसे कर सकता है?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, अब फिर कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री अध्यक्ष—दो मिनट में और देखता हूं, अगर कोरम नहीं होता है तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा और फिर कल ही बहस होगी इस पर।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—आज पार्लियामेंटरी बोर्ड का इन लोगों का इलेक्शन है, इसलिये सब लोग वहां पर हैं, इसलिये कोरम होना मुश्किल है। सदन को....

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—हम लोगों का तो चुनाव है पर आपकी तरफ के लोग क्यों नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष—इस तरह की बात नहीं होना चाहिये। आप कृपया शांत रहिये।

(गणपूर्ति न होने पर।)

श्री अध्यक्ष—मैं देखता हूं कि कोरम नहीं हो रहा है। इसलिये अब हम उठते हैं, और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १२ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
६ अक्तूबर, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४८ पर।)

सूची 'क'

६ सचिवों से संबंधित सूचना

क्रम-संख्या	अधिकारी का नाम	पद	सचिवालय में कार्य की अवधि
१	श्री रघुबीर शरण दास, आई०ए०एस	उप सचिव, सहायता तथा पुनर्वासन विभाग	१७–११–४७ से १–६–४८ ।
		सचिव, सहायता तथा पुनर्वासन विभाग।	१–६–४८ से अब तक ।
		सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग	१०–४–५८ से अब तक ।
२	श्री विपिन बिहारी लाल, आई० सी० एस०	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	२७–७–५१ से १३–१–५५ ।
		सचिव, वित्त विभाग ..	१३–१–५५ से १८–६–५६ ।
		आयुक्त तथा वित्त सचिव ..	१९–६–५६ से १९–११–५९।
		आयुक्त तथा सचिव, सिंचाई एवं विद्युत विभाग।	१९–११–५९ से अब तक ।
३	श्री श्याम सुन्दर लाल कक्कड़, आई० ए० एस० ..	उप आयुक्त, राशनिंग तथा पदेन उप सचिव, खाद्य विभाग।	२–६–५२ से ३०–१२–५३ ।
		उप सचिव, गृह विभाग ..	३०–१२–५३ से २६–१–५५ ।
		सचिव, मुख्य मंत्री ..	२७–१–५५ से २५–७–५८ ।
		सचिव, उद्योग विभाग ..	२५–७–५८ से २७–७–६० ।
		सचिव, आबकारी विभाग	२५–७–५८ से १७–११–५९।
		सचिव, श्रम विभाग ..	२३–९–५८ से १७–११–५९।
		विशेष सचिव, नियोजन विभाग	२७–७–६० से अब तक।
४	श्री गोविन्द नारायण, आई० सी० एस०	सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ..	१–७–५४ से ३–१०–५५ ।
		सचिव, विद्युत विभाग ..	१–७–५४ से २९–९–५५ ।
		सचिव, सूचना विभाग ..	१–७–५४ से अब तक ।
		विकास आयुक्त ..	२८–९–५५ से २०–३–५८ ।
		पदेन अतिरिक्त सचिव, नियोजन विभाग।	२८–९–५५ से २७–११–५६ ।
		सचिव, नियोजन विभाग ..	२७–११–५६ से २०–३–५८ ।
		सचिव, अर्थ एवं संख्या विभाग।	११–७–५७ से २०–३–५८ ।
		मुख्य सचिव ..	३–३–५८ से अब तक ।
		आयुक्त : उत्तराखण्ड डिवीजन	२४–२–६० से अब तक ।

क्रम-संख्या	अधिकारी का नाम	पद	सचिवालय में कार्य की अवधि
५	श्री गिरिजा प्रसाद पांडे आई०ए०एस०	विशेष कार्याधिकारी, उद्योग विभाग	२५–५–५६ से २३–१०–५६ ।
		अतिरिक्त सचिव, चिकित्सा और रसद विभाग	२४–१०–५६ से २५–७–५८ ।
		मुख्य मंत्री के सचिव ..	२५–७–५८ से ५–११–५९ ।
		सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।	५–११–५९ से अब तक ।
६	श्री मिट्ठन लाल, एच० जे० एस०	सचिव न्याय विभाग और विधि परामर्शदाता (इस समय ये अतिरिक्त जज हाई कोर्ट हैं।)	२०–१–५७ से १९–९–६० ।

सूची 'ख'

१३ उप सचिवों से संबन्धित सूचना

१	श्री भरत नरायन, आई० ए० एस०	सहायक रिफयूजी आयुक्त ..	४–१–४९ से २१–९–४९ ।
		अनु सचिव, वित्त विभाग ..	२२–९–४९ से २४–५–५१ ।
		उप सचिव, वित्त विभाग ..	२४–५–५१ से अब तक ।
२	श्री रणधीर नारायण मेहरा, एच० जे० एस०	उप विधि परामर्शदाता तथा उप सचिव, न्याय विभाग	९–९–५२ से २७–५–६० ।
		संयुक्त विधि परामर्शदाता तथा संयुक्त सचिव, न्याय विभाग।	२७–५–६० से अब तक ।
३	श्री गुरु शरण लाल श्रीवास्तव, एच० जे० एस०	विशेष कार्याधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग।	१४–११–५२ से १–४–५५ ।
		उप सचिव, न्याय विभाग तथा उप विधि परामर्शदाता	१–४–५५ से अब तक ।
४	श्री देवव्रत दत्त, आई० ए० एस०	उप सचिव, नियोजन विभाग	९–१–५६ से अब तक ।
		उप सचिव, अर्थ एवं संख्या विभाग	१९–८–५७ से अब तक ।
५	श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी, आई० ए० एस०	सहायक विकास आयुक्त तथा अनुसचिव, नियोजन विभाग।	६–४–५६ से १५–१०–५८ ।
		उप विकास आयुक्त तथा उप सचिव, नियोजन विभाग	१५–१०–५८ से अब तक ।

क्रम-संख्या	अधिकारी का नाम	पद	सचिवालय में कार्य की अवधि
६	श्री गंगेश मिश्र, पी० सी० एस० ।	सहायक विकास आयुक्त तथा अनुसचिव, नियोजन विभाग ।	६–४–५६ से १७–३–५८ ।
		उप विकास आयुक्त तथा उप-सचिव, नियोजन विभाग ।	१७–३–५८ से ८–९–५८ ।
		उपसचिव, मुख्य सचिव शाखा	८–९–५८ से अब तक ।
७	श्री अख्तर आलम, पी० सी० एस० ।	अनु० सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	२५–७–५६ से १५–३–५८ ।
		राज्य संपत्ति अधिकारी ..	२०–८–५७ से अब तक ।
		उप-सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ।	१५–३–५८ से अब तक ।
८	श्री शहजाद बिहारी माथुर, आई० ए० एस० ।	उप-सचिव, खाद्य विभाग ..	२९–७–५६ से अब तक ।
९	श्री केशव दयाल अग्रवाल, पी० सी० एस० ।	अनुसचिव, राजस्व विभाग	३–८–५६ से १५–३–५८ ।
		उप-सचिव राजस्व विभाग	१५–३–५८ से अब तक ।
१०	श्री लक्ष्मण दास भार्गव, आई० ए० एस० ।	उप-सचिव, कृषि विभाग ..	१६–११–५६ से १–८–५८ ।
		उप-सचिव पशुपालन विभाग	१६–११–५६ से १–११–५७ ।
		उप-सचिव, सहकारिता तथा गन्ना विभाग ।	१–८–५८ से अब तक ।
११	श्री अनूप सिंह, पी० सी० एस०	अनुसचिव, गृह विभाग ..	१६–११–५६ से १५–३–५८।
		उप-सचिव, गृह विभाग ..	१५–३–५८ से अब तक ।
१२	श्री उम्मेद चन्द ओसवाल, एच० जे० एस०	उप-सचिव, न्याय विभाग तथा उप विधि परामर्शदाता	७–१२–५६ से अब तक ।
१३	श्री मोहम्मद नसल एन, एच० जे० एस०	उप-सचिव, न्याय विभाग तथा उप विधि परामर्शदाता ।	८–२–५७ से अब तक ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५२ पर ।)

१५ अगस्त, १९६० को ग्राम खजुरिया, तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर में हुए साम्प्रदायिक दंगे का विवरण ।

खजुरिया ग्राम के हिन्दुओं ने कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में १५ अगस्त, १९६० को लगभग दिन के १.३० बजे एक जलूस निकाला । जब यह जुलस मस्जिद के पास से गुजर रहा था, लगभग ४०, ५० व्यक्तियों ने इसको आगे बढ़ने से रोका । इस पर कुछ झगड़ा हुआ, पत्थर फेंके गये, परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्ति जख्मी हुए । स्टेशन आफिसर थाना महाराजगंज सूचना पाते ही घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को शान्त किया। एक ओर से ३७ व्यक्तियों के विरुद्ध तथा दूसरी ओर से २६ व्यक्तियों के विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट लिखाई गई । दोनों मामलों की पुलिस जांच कर रही है। २० व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ अदालत में उपस्थित हो गए हैं। वर्तमान स्थिति शांतिपूर्ण है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५४ पर)

राज सरकार द्वारा एलाट की गई और चीनी लाइसेंसदारों द्वारा उठाई चीनी का विवरण

मास	राज्य का मासिक कोटा	संपूर्ण मासिक एलाटमेन्ट	संपूर्ण उठाई गई मासिक चीनी की मात्रा
	(सभी आंकड़े टन में)		
सितम्बर १९५९ ..	२५,०००	२४,४१८.८१	२३,४९५.७०
अक्तूबर	" ..	२४,६२१.९५	२५,५६६.५६
नवम्बर	" ..	२४,९७७.५४	२२,२३०.७४
दिसम्बर	" ..	२४,१२३.०५	२२,४९०.२४
जनवरी १९६० ..	" ..	२३,४१७.३७	१८,४७८.७२
फरवरी	" ..	१७,५४६.६५	१५,५५६.४३
मार्च	" ..	१९,५९३.४१	१५,३६५.५६
अप्रैल	" ..	१९,०४२.५४	१७,३५३.८२
मई	" ..	२४,७९७.५२	२३,४१९.८८
जून	" ..	२३,८६४.२८	२०,७९७.९२
जुलाई	" ..	२०,४६४.६२	१७,८६४.८८
अगस्त	" ..	१५,०८७.३८	१४,१७६.३६
सितम्बर ..	" ..	२१,७३१.१६	आंकड़े उपलब्ध नहीं
अक्तूबर	" ..	२१,०२०.१२	आंकड़े उपलब्ध नहीं

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५९ पर)

१ जनवरी, १९५७ से ३१ जुलाई, १९६० तक प्रदेश की विभिन्न जेलों से भागे हुये तथा उनमें से पुनः गिरफ्तार किये गये बन्दियों की विवरण सूची

	जेल का नाम जहां से बन्दी भागे हैं	भागे हुए बन्दियों की संख्या	भागे हुए बन्दियों में से पुनः गिरफ्तार किये गये बन्दियों की संख्या
(१)	केन्द्रीय कारागार, आगरा ..	२	..
(२)	केन्द्रीय कारागार, नैनी ..	१	१
(३)	केन्द्रीय कारागार, बरेली	३	३
(४)	आदर्श कारागार, लखनऊ	२	..
(५)	जिला जेल, अलीगढ़ ..	३	१
(६)	जिला जेल, अल्मोड़ा ..	१	१
(७)	जिला जेल, आजमगढ़ ..	१	१
(८)	जिला जेल, बरेली ..	१	१
(९)	जिला जेल, वाराणसी ..	२	२
(१०)	जिला जेल, बुलन्दशहर ..	२	१
(११)	जिला जेल, देहरादून ..	१	१
(१२)	जिला जेल, फतेहपुर ..	१	१
(१३)	जिला जेल, हमीरपुर ..	१	१
(१४)	जिला जेल, कानपुर ..	१	१
(१५)	जिला जेल, खीरी ..	२	२
(१६)	जिला जेल, लखनऊ ..	१	१
(१७)	जिला जेल, मेरठ ..	१	१
(१८)	जिला जेल, मथुरा ..	२	२
(१९)	जिला जेल, मुजफ्फरनगर ..	४	३
(२०)	जिला जेल, पीलीभीत ..	१	१
(२१)	जिला जेल, राय बरेली ..	१	१
(२२)	जिला जेल, रामपुर ..	१	१
(२३)	जिला जेल, शाहजहांपुर ..	१	१
(२४)	जिला जेल, टेहरी ..	२	१
(२५)	रिफारमेटरी स्कूल, लखनऊ ..	४	४
(२६)	संपूर्णानन्द शिविर, मंझोला, पीलीभीत ..	२९	१४
(२७)	संपूर्णानन्द शिविर, चुर्क मिर्जापुर ..	९	६
(२८)	संपूर्णानन्द शिविर, सितारगंज ..	३	१
		८३	५४

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६९ पर)

जिला वाराणसी में राजकीय चिकित्सालयों की सूची

एलोपैथिक

तहसील वाराणसी

१—श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी ।
२—ईश्वरीय मेमोरियल हास्पिटल, वाराणसी ।
३—राजा काली शंकर कुष्ट रोग अस्पताल, वाराणसी ।
४—मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी ।
५—पुलिस अस्पताल, वाराणसी ।
६—राज्य बीमा कर्मचारी योजना चिकित्सालय, भेलूपुर ।
७—राज्य बीमा कर्मचारी योजना चिकित्सालय, लोहारा बीर ।
८—राज्य बीमा कर्मचारी योजना चल चिकित्सालय, वाराणसी ।
९—भेलूपुर डिस्पेन्सरी ।
१०—डिस्ट्रिक्ट जेल अस्पताल, वाराणसी ।
११—सेन्ट्रल जेल अस्पताल, वाराणसी ।
१२—स्कूल डिस्पेन्सरी, वाराणसी ।
१३—लावेट हास्पिटल, रामनगर ।
१४—सार नाथ चिकित्सालय ।
१५—बड़ा गांव चिकित्सालय ।
१६—चोलापुर चिकित्सालय ।
१७—काशी विद्यापीठ चिकित्सालय ।
१८—आराजी लाइन चिकित्सालय ।
१९—चिरई गांव चिकित्सालय ।
२०—बीरांव चिकित्सालय ।
२१—गंगापुर चिकित्सालय ।
२२—पी० ए० सी० अस्पताल, रामनगर ।
२३—महिला चिकित्सालय, रामनगर ।
२४—टी० बी० क्लीनिक, वाराणसी ।
२५—लेपरोसी स्किन क्लीनिक, वाराणसी ।
२६—लेपरोसी सबसीडेरी सेन्टर, वाराणसी ।
कुल २६ एलोपैथिक चिकित्सालय ।

आयुर्वेदिक

१—राम नगर ।
२—चौबेपुर ।
३—बटेन ।
४—सेवापुरी ।
५—रामेश्वर ।
६—मंगारी ।
७—जाल्हूपुर ।
८—निर्जा मुराव ।
९—कठरांव ।
कुल ९ आयुर्वेदिक चिकित्सालय ।
कुल ३५ एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय ।

एलोपैथिक	आयुर्वेदिक
तहसील चंदोली	
१—धानापुर	१—कम्हरिया
२—चहनियां	२—बबुरी।
३—नियामताबाद	३—अलीनगर ।

कुल ३ एलोपैथिक चिकित्सालय कुल ३ आयुर्वेदिक चिकित्सालय
कुल ६ एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय

एलोपैथिक	आयुर्वेदिक
तहसील चकिया	
१—महाराजा ईश्वरी नारायण अस्पताल, चकिया	१—साहबगंज
२—महिला चिकित्सालय, चकिया ..	२—खरौजा।
३—महाराजा आदित्य नारायण अस्पताल, नौगढ़ ..	३—सिकन्दरपुर
४—रामपुर कलां चिकित्सालय	४—उतरौत

कुल ४ एलोपैथिक चिकित्सालय कुल ४ आयुर्वेदिक चिकित्सालय
कुल ८ एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय

तहसील भदोही

एलोपैथिक

१—महाराजा बलवन्तसिंह अस्पताल, भदोही ।
२—महाराजा चैतसिंह अस्पताल, ज्ञानपुर ।
३—महिला चिकित्सालय, भदोही ।
४—महाराजा प्रभुनारायणसिंह अस्पताल, गोपीगंज ।
५—औराई चिकित्सालय ।
६—महिला महाराजा चैतसिंह अस्पताल विभाग

कुल ६ एलोपैथिक चिकित्सालय

आयुर्वेदिक

१—सुबवा	२—मटैंटू
३—बरवा	४—सुरियावां
५—कोनिया	६—चौरी
७—खमरिया	८—मोढ़
९—महराजगंज	१०—कोइरौना
११—गुनैचा	१२—ऊगापुर।
१३—दुर्गागंज।	

यूनानी

१४—माधौसिंह

कुल १४ आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालय
कुल २० एलोपैथिक आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७० पर)

सूची

			रु०
१—श्री मोहम्मद रजा खां	..	..	१,२००
२—श्री मोहम्मद सिद्दीक खां	..	..	९००
३—श्री हसन रजा खां	..	..	१,२००
४—श्री महबूब खां	..	..	१,०००
५—श्रीमती मुन्नी बीबी	..	..	१,०००
६—श्री हीरा	..	..	६००
७—श्री भगवान दीन	..	..	४००
८—श्री लियाकत	..	..	९००
९—श्री मुस्तफा खां	..	..	६००
१०—श्री मूसा	..	..	४००
११—श्री अब्दुल्ला	..	..	२००
१२—श्री अमानउल्ला	..	..	३००
१३—श्री मुरतजा	..	..	८००
१४—श्री ईसा	..	..	२००
कुल जोड़		..	९,७००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३–७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७३–६७४ पर)

(नत्थी 'क')

तहसील महाराज गंज

मालगुजारी—पोस्टिंग ठीक ढंग से हुई है और डिमान्ड रजिस्टर ठीक है। अतएव दुबारा वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता।

तकावी—केवल एक केस में पोस्टिंग नहीं की जा सकी। डिमान्ड रजिस्टर ठीक नहीं हो पाया और उस केस में दुबारा वसूली हो गई है।

तहसील फरेंदा

मालगुजारी—जमाबन्दी में पोस्टिंग ठीक ढंग से हुई है और डिमान्ड रजिस्टर ठीक है।

तकावी—पोस्टिंग सन् १९५२ ई० से कहीं-कहीं छूटी मिली है। परन्तु किसानों से दुबारा इस रकम की मांग नहीं की गई।

तहसील सदर

मालगुजारी—जमाबन्दी में पोस्टिंग ठीक ढंग से हुई है और डिमान्ड रजिस्टर ठीक है।

तकावी—पिछले वर्षों की छूटी हुई पोस्टिंग वित्तीय वर्ष १९५९–६० में कराई गई है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि दुबारा वसूली नहीं की गई।

तहसील बांसगांव

मालगुजारी—१३६०–६२ फसली में कुल मालगुजारी की वसूली की पोस्टिंग जमाबन्दी में नहीं हो पाई थी परन्तु किसानों से दुबारा उस रकम की वसूली नहीं हुई है।

तकावी—लेजरों में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है। अतएव दुबारा वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता।

(नत्थी 'ख')

तहसील महराजगन्ज	तहसील फरेंदा	तहसील सदर	तहसील बांसगांव
तकावी के सम्बन्ध में ९९०.६२ रु० की दुबारा वसूली हो गई है। यह गड़बड़ी १३६७ फसली की है।	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता

(नत्थी 'ग')

तहसील महाराजगन्ज	तहसील फरेन्दा	तहसील सदर	तहसील बांसगांव
काश्तकार से अधिक वसूल की गई धनराशि को वापस करने की कार्यवाही हो रही है।	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७५ पर)

विधान सभा के आठवें गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ९० से सम्बन्धित अनुसूचित तहसील हाथरस के उन ग्रामों की सूची जिनमें गत वर्ष से फसल को (अ) ५० प्रतिशत व उससे अधिक किन्तु ७५ प्रतिशत से कम क्षति का अनुमान है

१—ततारपुर महरिया
२—द्वारिकापुर
३—शिवाहरी
४—दरकौली
५—नगलाभमपुजार
६—तिलौठी
७—भुजगढ़ी
८—रुदायन
९—बिलानौरा
१०—जरैया गदाखेड़ा
११—किदौली
१२—दयानतपुर
१३—नगलामलिया
१४—गढ़जमनी
१५—वाहनपुर
१६—छतरपुर
१७—भदामई
१८—जोगिया
१९—केशवपुर
२०—बखराया
२१—लड़जली
२२—सोरबना
२३—मेंढ़
२४—सेरपुर
२५—मिर्जापुर
२६—विधिपुर
२७—विलौखरी
२८—पुर्बना
२९—नगलामान
३०—मोहवतपुर
३१—गुझारझ
३२—गढ़ी दूदाधारी
३३—पहाड़पुर
३४—नगलाखड़ग
३५—कुटार
३६—कलवारी
३७—गिरूरौली
३८—महो
३९—मान महो
४०—हाजीपुर
४१—हिम्मतपुर
४२—मितनपुर
४३—तरकटा
४४—पीपर गटी
४५—कथरिया
४६—गुमानपुर
४७—नगलादया
४८—बरामई
४९—नगलागगुबा
५०—गोपालपुर
५१—महीसावत
५२—केबलगटी

(ब) ७५ प्रतिशत व उससे अधिक क्षति का अनुमान है

१—चिन्तापुर
२—लहना
३—सूरजपुर
४—अर्न्दपुर
५—बाघझ
६—नगला तजना
७—जहांगीर पुर
८—टोटा
९—बरखाना
१०—गढ़ी दूधाधारी
११—केनई
१२—गटीसिन्धा
१३—सेखूपुर मदन
१४—खोडारती
१५—नरामई
१६—ऐंहन
१७—खरबा
१८—बतना

१९—गदी खुरनी
२०—बेर गांव
२१—पुराकला
२२—पुरा खुर्द
२३—लाखनू
२४—वीरनगा
२५—लाड़पुर
२६—जलालपुर तालुकसरजातपुर
२७—जाफराबाद
२८—गंगेली
२९—नगलाअट
३०—मुनेर
३१—सिधौली
३२—सिकन्दर पुर
३३—खेड़ा चतुर्भज
३४—रुद्रपुर
३५—शाहपुर कलां
३६—मोपत पुर
३७—नहरई
३८—नूरपुर
३९—गढ़ी वलना
४०—बदीपुर
४१—मेबली
४२—राजपुर
४३—मौगांव नगला जायस
४४—सरजाद पुर
४५—बालपट्टी अटईया
४६—मलह
४७—दतौरा
४८—तिलौकपुर
४९—चिन्तापुर बदन
५०—कौमरी
५१—नगला काशी
५२—चन्दया
५३—नीनामई
५४—खिटौली कठेलिया
५५—नदौना नगला लछी
५६—सिकुर अकबरपुर
५७—अत्तरा
५८—गाखगटी
५९—रहना
६०—एहवरनपुर
६१—मौपुरा
६२—गढ़ीनन्दरामपुर
६३—नगला सावत
६४—बसगोई
६५—हरदपुर
६६—छोड़ा गडऊआ
६७—तंतारपुर
६८—टिकारी
६९—हीरापुर
७०—घतरोई
७१—छोक
७२—रचेखूपुर अजीते
७३—बहटा
७४—टूलई
७५—सलेमपुर
७६—रघनियां
७७—सठिया
७८—लोहरी
७९—बिजावरी
८०—असवा
८१—अमोखरी
८२—बरौती
८३—सहेड़ी
८४—महमूदपुरवासे
८५—नगला गलिया
८६—सभाभई स्कूल
८७—खेड़ा फिरोजपुर
८८—राम नगर
८९—नगला फतेला
९०—पट्टी फतहली
९१—नगला जहरु
९२—गौहाना
९३—नगला सिंह
९४—नगला सेवा
९५—नगला केहरिया
९६—हडौली
९७—नगला गढ़
९८—दिनावली
९९—लटौता
१००—लुटसान
१०१—जगीपुर
१०२—सुखापतकेल
१०३—सुरापत खुर्द
१०४—हासिमपुर
१०५—कसई काजी
१०६—सासनी
१०७—सुमरतगढ़ी
१०८—रायक
१०९—गोपी
११०—शीतलामेवा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१११—महमा
११२—कचना
११३—करसौटी
११४—कुसकरा
११५—घोटुआ
११६—कुरावली
११७—खजरिया
११८—जुझरिया
११९—लौहटा खुर्द जल
१२०—बसमई
१२१—मुगरिया
१२२—अहरई
१२३—बन्का
१२४—नगलादाऊदा खेतसी
१२५—भोजपुर
१२६—संगीला नगलाबली
१२७—बेछिया
१२८—मूंगसा
१२९—नगलामनी
१३०—विश्रान्त
१३१—धातराखुर्द
१३२—टुकसान
१३३—बुधगला हेमराज
१३४—कोका
१३५—दरकई
१३६—करोडी
१३७—अलहपुर तुससेन
१३८—खेड़ापरसोती
१३९—ताजपुर
१४०—दयालपुर
१४१—केसरगटी
१४२—मंगटई
१४३—रयू
१४४—बंगनी कमालपुर
१४५—विचपुरी
१४६—डंगरा
१४७—तहंयाकला कसआ
१४८—पटाखास
१४९—गोलिया
१५०—मझोला
१५१—परसारा
१५२—विसनदास
१५३—ककरावली
१५४—कोटा
१५५—नगलानकराम
१५६—रोहई
१५७—कुवरपुर नगलावास
१५८—नं० लकछी
१५९—नहरोई
१६०—कपूरा
१६१—माहमौनी
१६२—सुसाबली
१६३—गांखगढ़ी
१६४—रंगपुर
१६५—पदू
१६६—टकपुरा
१६७—सरकोरिया
१६८—भान्करी नगलायो
१६९—पटैनी
१७०—सियमल
१७१—दरगवा
१७२—सुरतिया
१७३—मीतई
१७४—चदपा
१७५—चितावर
१७६—गढ़ीकछवाया
१७७—सेटीकरा
१७८—बदना
१७९—चन्दगढ़ी
१८०—बूलगढ़ी
१८१—गढ़ीपरती बनारसी
१८२—कटैलिया
१८३—नगलाग्राम
१८४—परताप
१८५—वाद नगला अठवारिया
१८६—धातराकलां
१८७—नगला बनारसी महलाद
१८८—मोहापुर
१८९—हतीसा भगवन्तपुर
१९०—लखपुरा
१९१—खेडिया उहर
१९२—गम्भीर पट्टी विसान

नथी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७५ पर)

क्रम सं०	नाम ग्राम	क्षेत्रफल जो १९५९–६० में सरजू एवं शारदा से कटा	क्रम सं०	नाम ग्राम	क्षेत्रफल जो १९५९–६० में सरजू एवं शारदा से कटा
		एकड़			एकड़
१	लखपेड़ा ..	३८.८९	१८	मूंडी ..	६२.००
२	फतेहपुर ..	५.६०	१९	परसा ..	८३.०९
३	खनबापुर ..	१.२१	२०	चकनायपुर ..	००.०३
४	डाबर ..	२.३७	२१	जठपुरवा ..	२.८१
५	गोपालापुर ..	३६.३१	२२	टहारा ..	४५.४८
६	ईसापुर ..	६.६५	२३	खंगिथापुर ..	२६.८६
७	कमना ..	५.३६	२४	खरैवहिया ..	१०.५७
८	सघुबापुर ..	८.४१	२५	झीब्बापुर खदे ..	५१.७०
९	चपकहा ..	१२.०४	२६	दैवमनिया ..	८.४८
१०	फकीरेपुरवा ..	३७.७९	२७	भूड़ा ..	५४.२८
११	चहलवा ..	१४०.५५	२८	मनबापुर ..	१८१.०७
१२	रामलोक ..	५०४.६९	२९	समरदा बढ़ाल ..	४३.८४
१३	कंरातीपुरवा ..	३४६.२९	३०	जन्गल नं० ३ ..	३८.३५
१४	ओझापुरवा ..	३०३.७६	३१	राजापुर पैभव ..	२७.३२
१५	कोटरा रूम ..	७४.२५			
१६	गौड़ी ..	१३४.३०		योग ..	२३५१.७८
१७	गगोलिया ..	५७.१६			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६७७ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५८

कुछ प्रयोजनों के लिये यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ तथा उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने और असिस्टेन्ट कलेक्टरों, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों के कतिपय कार्यों के बंधीकरण की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५८

आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ तथा उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करना और असिस्टेंट कलेक्टरों, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों के कतिपय कार्यों के बंधीकरण की व्यवस्था करना इष्टकर है:

अतएव भारतीय गणतन्त्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ की धारा १८ का संशोधन

२—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (जिसे "आगे मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से ही रखा गया समझा जाय:—

Sub-Divisional Officers and Additional Sub-Divisional Officer

"18. (1) The State Government may place any Assistant Collector of the first class in charge of one or more sub-divisions of a district, and may remove him therefrom.

(2) Such Assistant Collector shall be called an Assistant Collector in charge of a sub-division of a district or a Sub-Divisional Officer and shall exercise all the powers and discharge all the duties conferred and imposed upon him by this Act or by any other law for the time being in force, subject to the control of the Collector.

(3) The State Government may designate any Assistant Collector of the first class appointed to a district to be Additional Sub-Divisional Officer in one or more sub-divisions of the district.

(4) The Additional Sub-Divisional Officer shall exercise such powers and perform such duties of an Assistant Collector in charge of a sub-division of a district in such cases or classes of cases as the State Government may direct.

(5) The provisions of this Act and of every other law for the time being applicable to a Sub-Divisional Officer shall apply to every Additional Sub-Divisional Officer when exercising

any powers or discharging any duties under sub-section (4) as if he were a Sub-Divisional Officer.

(6) The State Government may delegate its powers under this section to the Collector of the district and may revoke such delegation."

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ की धारा २२४ का उन क्षेत्रों में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन, जहां उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१ प्रचलित है।

३—मूल अधिनियम की धारा २२४ के, जैसी कि वह उन क्षेत्रों में प्रवृत्त है, जिनमें १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम प्रचलित है, अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं और सदैव से ही बढ़ाये गये समझे जायें—

"or an Assistant Collector of the second class."

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५८ की धारा ८४ का संशोधन

४—उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की वर्तमान धारा ८४ की संख्या बदलकर ८४ (१) कर दी जाय और तत्पश्चात निम्नलिखित उप-धारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(२) उक्त अनुसूची की क्रमसंख्या ६ पर उल्लिखित संशोधन १ जनवरी, १९५३ से प्रचलित हुआ समझा जायगा।"

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ का उन क्षेत्रों में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन, जहां उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१ प्रचलित है।

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १

५—मूल अधिनियम, जैसा कि वह उन क्षेत्रों में प्रवृत्त है, जहां १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रचलित है, उक्त क्षेत्रों में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार संशोधन किया जायगा जैसा कि संलग्न अनुसूची में दिया गया है।

कतिपय कार्यों का वैधीकरण

६—(१) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई बात होने पर भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा, जो परगने का प्रभारी (In-charge of the sub-division) न हो, या तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा, उन क्षेत्रों में, जहां १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रचलित है, मूल अधिनियम के अधीन, या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन की गयी या की गई भावित होने वाली कोई बात और किया गया या किया गया भावित होने वाला कोई कार्य (जिसके अन्तर्गत कोई दिया गया आदेश, की गई कार्यवाही, प्रचारित निदेश, प्रयुक्त क्षेत्राधिकार, तथा दिया गया निर्णय भी है) ठीक और वैध होगा, तथा सदैव से ही ठीक और वैध समझा जायगा मानों सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर—

(१) ऐसा असिस्टेंट कलेक्टर यथाविधि नियुक्त उस परगने का प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर था,

(२) ऐसा तहसीलदार यथाविधि नियुक्त प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर था, और

(३) ऐसा नायब तहसीलदार यथाविधि नियुक्त द्वितीय श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर था।

(२) उपधारा (१) उस मामले में प्रवृत्त न होगी जिसमें असिस्टेंट कलेक्टर या तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य सक्षम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित किसी कारण से अन्तिम रूप से अवैध ठहराया गया हो:—

(१) ऐसा असिस्टेंट कलेक्टर यथाविधि नियुक्त परगने का प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर नहीं था, या

(२) ऐसा तहसीलदार यथाविधि नियुक्त प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर नहीं था, या

(३) ऐसा नायब तहसीलदार यथाविधि नियुक्त द्वितीय श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर नहीं था।

अनुसूची

(धारा ५ देखिये)

ऐक्ट की धारा	संशोधन
३५	वर्तमान धारा ३५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—
	"(1) On receiving a report of succession under section 34, or on facts otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall make such inquiry as appears necessary and if, in an undisputed case, succession appears to have taken place, direct the annual registers to be amended accordingly. If the succession is disputed, he shall dispose it off after deciding the dispute in accordance with the provisions of section 40. (2) On receiving a report of transfer under section 34, or on facts otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall make such inquiry as appears necessary and then refer the case to the Collector who shall, after making such further inquiry as may be necessary, dispose it off."
३९	वर्तमान धारा ३९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—
	"(1) An application for correction of any error or omission in the annual register shall be made to the Tahsildar. (2) On receiving an application under sub-section (1) or any error or omission in the annual register coming to his knowledge otherwise, the Tahsildar shall make such inquiry as appears necessary and then refer the case to the Collector, who shall dispose it off, after deciding the dispute in accordance with the provisions of section 40. (3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall prevail, notwithstanding anything contained in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947."
४०	धारा ४० की उप-धारा (३) निकाल दी जाय और उक्त धारा के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ४०-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय—
	"40-A. No order passed under section 33, 35, 39 or 40 shall debar any person from establishing his right to the property in any civil or revenue court having jurisdiction."
२१०	धारा २१० में निम्नलिखित नई उपधारा (६) के रूप में बढ़ा दिया जाय—
	"(6) No appeal shall lie against an order passed under section 33, 35, 39 or 40."
२१४	वर्तमान धारा २१४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—
	"No appeal shall be brought after the expiration of 30 days from the date of the order complained of, unless otherwise expressly provided in this Act."

उद्देश्य और कारण

पिछले कुछ वर्षों में यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (यू० पी० ऐक्ट संख्या ३,१९०१) की कतिपय धाराओं के प्रवर्तन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। परगना अधिकारियों द्वारा शुद्धियों तथा नाम परिवर्तन (mutation) के मामलों का निस्तारण किये जाने में जो विलम्ब प्रक्रिया-सम्बन्धी दोष के कारण होता है, उसे रोका जा सकता है। एक ही प्रकार के न्यायालयों में अर्थात राजस्व न्यायालयों में अपील तथा पुनरीक्षण की अवस्था तक एक ओर तो शुद्धि तथा नाम परिवर्तन की कार्यवाहियां होती हैं और दूसरी ओर नियमित वाद चलाये जाते हैं। फलतः दोहरी मुकदमेबाजी होती है जो अनावश्यक है। उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि उक्त ऐक्ट के वर्तमान उपबन्धों के अधीन अतिरिक्त परगना अधिकारी की नियुक्ति करना या नायब तहसीलदारों को द्वितीय श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर के अधिकार देना सम्भव नहीं है। अतएव, उपर्युक्त कठिनाइयों को इस उद्देश्य से दूर करने के लिये कि विलम्ब न हो और मुकदमा लड़ने वालों को कम खर्च में तथा शीघ्रता पूर्वक न्याय प्राप्त हो सके तथा उन कार्यों के वैधीकरण के निमित्त, जो अतिरिक्त परगना अधिकारियों, तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमशः परगना अधिकारियों और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टरों के रूप में किये जा चुके हों, यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

हुकुमसिंह विसेन,
न्याय मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ तथा उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के उन उपबन्धों का विवरण जिन्हें इस विधेयक द्वारा संशोधित किया जाने का प्रस्ताव है

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१—

Assistant Collector incharge of sub-divisions of districts.

Section 18—(1) The (Provincial Government) may place any Assistant Collector of the first class incharge of one or more sub-divisions of a district and may remove him therefrom.

(2) Such Assistant Collector shall be called an Assistant Collector incharge of a sub-division of a district and shall exercise all the powers and discharge all the duties conferred and imposed upon him by this Act ; or by any other law for the time being in force, subject to the control of the Collector.

(3) The (Provincial Government) may delegate its powers under this section to the Collector of the district, and may revoke such delegation.

Section 35—(1) On receiving a report of succession under section 34, the Tahsildar shall make such inquiry as appears necessary and in an undisputed case of succession if it appears to have been taken place, direct the annual registers to be amended accordingly. If the succession is disputed he shall dispose it off after deciding the dispute in accordance with the provisions of section 40.

(2) On receiving a report of transfer under section 34, the Tahsildar shall, refer the case to the Collector who shall, after making such inquiry as may be necessary, dispose it off.

Section 29—Notwithstanding anything contained in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, Collector may on his own motion and shall on the application of any person correct any error or omission in the annual register.

Section 40—(1) All disputes regarding entries in the annual registers shall be decided on the basis of possession.

(2) If in the course of inquiry into a dispute under this section the Collector or the Tahsildar is unable to satisfy himself as to which party is in possession, he shall ascertain by summary inquiry who is the person best entitled to the property, and shall put such person in possession.

(3) No order as to possession passed under this section shall debar any person from establishing his right to the property in any civil or revenue court having jurisdiction.

Explanation—The term "possession" in this section means possession based on succession or transfer.

Section 210—(1) Appeals shall lie under this Act as follows :

(*a*) to the Record Officer from orders pasesd by any Assistant Record Officer;

(*b*) (i) to the Commissioner from orders passed by a Collector or any Assistant Collector, first class or Assistant Collector incharge of sub-division ;

(ii) to the Collector from orders passed by an Assistant Collector, second class or Tahsildar.

Section 214—No appeal to the Record Officer or the Commissioner shall be brought after the expiration of thirty days from the date of the order complained of, unless otherwise specially provided in this Act.

Section 224—The State Government may confer on any Tahsildar all or any of the powers of any Assistant Collector of the first or second class, and on any Naib-Tahsildar all or any of the powers of a Tahsildar.

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम, १९५८

धारा ८४—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ उन क्षेत्रों में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, जहां इस अधिनियम का प्रसार है, अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित आयति तक संशोधित हो जायगा।

अनुसूची

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का संशोधन

(धारा ८४ देखिये)

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार अथवा संशोधन
१	२	३
१	२१	वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— "21 (1) The Collector may arrange the villages of district in *lekhpals' halkas* and may, from time to time alter the limits of such *halka* without effecting any change in the strength of *lekhpals*. (2) If the change or alteration referred to in sub-section (1) is likely to effect any change in the strength of *lekhpals*, previous sanction of the State Government shall be obtained for the purpose."
	३३	शब्द तथा अंक "Panchayat Adalat as constituted under section 42 of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947," के स्थान पर शब्द "Kanungo" रख दिया जाय।
३	३३-ए	धारा ३३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३३-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय:— Correction of annual registers in cases of uncontested succession. "33-A. Where a person obtains possession of any land by succession, the Kanungo shall make such inquiry as may be prescribed and if the case is not disputed record the same in the annual register".
४	३४	धारा ३४ की वर्तमान उप-धारा (१), (२) तथा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— "(1) Every person obtaining possession of any land in a village— (*a*) by succession and such succession has not been recorded in the annual register under section 33-A ; or (*b*) by transfer,

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार अथवा संशोधन
१	२	३

shall report such succession or transfer to the Tahsildar of the tahsil in which the land is situated.

(2) The report under sub-section (1) shall be made—

(*a*) in the case of a transfer other than a lease, immediately after such transfer has taken place ;

(*b*) in the case of succession, immediately after the person so succeeding learns that the Kanungo has not recorded the succession under section 33-A ; and

(*c*) in the case of lease, immediately after the lessee has obtained the possession thereunder."

५ ३५ वर्तमान धारा ३५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"35. (1) On receving a report of succession under section 34, the Tahsildar shall make such inquiry as appears necessary and in an undisputed case of succession if it appears to have taken place, direct the annual registers to be amended accordingly. If the succession is disputed he shall dispose it of after deciding the dispute in accordance with the provisions of section 40.

(2) On receiving a report of transfer under section 34, the Tahsildar shall refer the case to the Collector who shall, after making such inquiry as may be necessary, dispose it off."

६ २२४ शब्द "Assistant Collector of the second class" के स्थान पर शब्द "Assistant Collector of the first or second class" रख दिये जायें।

७ २३४ (१) शब्द "Clauses (*a*) to (*e*)" के स्थान पर शब्द "Clauses (*a*), (*d*). (*e*)" रख दिये जायं, और

(२) खन्ड (c). निकाल दिया जाय।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६८३ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९५९ के १०वें गुरूवार के लिये श्री देवकी नन्दन विभव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७८ का उत्तर

प्रश्न

७८—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मेडिकल कालेज और सरकारी अस्पतालों में कहां डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने देना बन्द हो चुका है और कहां बन्द करने पर यह विचार कर रही है ।

उत्तर

प्रदेश के तीनों मेडिकल कालेजों में संलग्न सूची (क) में दिये पदों के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द है । अन्य पदों के डाक्टर, जिन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अभी आज्ञा है, उसे बन्द करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । सरकारी अस्पतालों में संलग्न सूची (ख) में दिये चार्जों में डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द है । अन्य किसी चार्ज में डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का विचार नहीं है ।

हुकुमसिंह विसेन

न्याय मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची (क)

मेडिकल कालेज का नाम	पद जिन पर प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द है
एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा तथा जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर	निम्न विभागों के प्रोफेसर, रीडर, तथा लेक्चरर के पद पर प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द है : १–एनाटामी (Anatomy) २–फिजियोलाजी (Physiology) ३–बायोकेमिस्ट्री (Bio-Chemistry) ४–फारमेकालोजी (Pharmacology) ५–पैथालोजी (Pathology) ६–रेडियोलाजी (Radiology)
के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ	निम्न विभागों में प्रोफेसर के पद पर प्राइवेट प्रैक्टिस करना बन्द है: १–ऐनाटामी (Anatomy) २–फिजियोलाजी (Physiology) ३–फारमेकालोजी (Pharmacology) ४–सोशल एन्ड प्रिवेन्टिव मेडिसिन (Social and Preventive Medicine), निम्न विभाग में रीडर के पद पर प्राइवेट प्रैक्टिस करना बन्द है : फारमेकालोजी विभाग (Pharmacology Department) के रीडर के एक पद पर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ख'

१—मेन्टल अस्पताल	(Mental Hospitals)
२—इ० एस० आई० डिस्पेन्सरी	(E.S.I. Dispensaries)
३—सेन्ट्रल प्रिजन्स, माडेल जेल, तथा प्रिजन्स तथा जुवेनाइल जेल	(Model Jails and Prisons and Juvenile Jails)
४—लेप्रोसी सेन्टर	(Leprosy Centres)
५—इन्फेकशस डिजीज अस्पताल	(Infectious Diseases Hospitals)
६—ब्लड बैंक, लखनऊ	(Blood Bank, Lucknow)
७—पुलिस अस्पताल	(Police Hospitals)
८—सीमेंट फैक्टरी चुर्क डिस्पेन्सरी, मिर्जापुर	(Cement Factory Churk Dispensary, Mirzapur)
९—रिहन्द डैम कैम्प डिस्पेन्सरी, मिर्जापुर	(Rihand Dam Dispensary, Mirzapur)
१०—सम्पूर्णानन्द कैम्प डिस्पेन्सरी, नानक सागर, नैनीताल	(Sampurnanand Camp Dispensary, Nanaksagar, Naini Tal)
११—पी० ए० सी० बैटालियन अस्पताल	(P. A. C. Bn. Hospitals)
१२—कैनाल एन्ड फारेस्ट डिस्पेन्सरी	(Canal and Forest Dispensaries)
१३—कोलोनाइजेशन स्कीम डिस्पेन्सरी	(Colonization Scheme Dispensaries)
१४—गवर्नरस् हाउस होल्ड डिस्पेन्सरी	(Governor's Household Dispensary, Lucknow.)
१५—ट्यूनी डिस्पेन्सरी, जिला देहरादून	(Tuni Dispensary, district Dehra Dun.)
१६—रिफार्मेटरी स्कूल डिस्पेन्सरी, लखनऊ	(Reformatory School Dispensary, Lucknow.)
१७—प्राइमरी हेल्थ सेन्टर	(Primary Health Centres)
१८—सेन्ट्रल इर्रीगेशन वर्कशाप डिस्पेन्सरी, बरेली	(Central Irrigation Workshop Dispensary, Bareilly.)
१९—मेडिकल आफिसर सम्पूर्णानन्द प्रिजन कैम्प, मिर्जापुर	(Medical Officer, Sampurnanand Prison Camp, Mirzapur.)
२०—मेडिकल आफिसर मेला ड्यूटी	(Medical Officers to Mela Duty)
२१—मेडिकल आफिसर एक्सरे ट्रेनिंग, मेडिकल कालेज, आगरा।	(Medical Officers, X-ray training, Medical College, Agra.)

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६८४ पर)

उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६०

इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ के कुछ उपबन्धों की अनुपूर्ति के लिये

विधेयक

ऐक्ट संख्या ६४, १९५१

इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ के कुछ उपबन्धों की अनुपूर्ति करना आवश्यक है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक अधिनियम, १९६० कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

ऐक्ट संख्या २७, १९६०

(३) यह इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९६० की धारा १ की उपधारा (२) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित दिनांक से प्रचलित होगा और उसी दिनांक से प्रचलित हुआ समझा जायगा ।

इवैकुई इन्टरेस्ट (सपरेशन) (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९६० की राज्य में प्रवृत्ति

२—इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९६० द्वारा इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ में किये गये संशोधन, जहां तक वे ऐसे विषयों से सम्बद्ध हैं जिनके संबंध में राज्य विधान मंडल को उत्तर प्रदेश के लिये विधि बनाने का अधिकार है, किन्तु संसद को नहीं है, उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार प्रभावी और वैध होंगे जैसे उक्त उपबन्ध उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा अधिनियमित किये गये हों ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ संघ संसद् द्वारा १९५१ में बनाया गया था। इसका विषय मिली जुली सम्पत्तियों में निष्क्रांत व्यक्तियों के हितों को अलग करना था। यह निष्क्रांत व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों अर्थात्, ऋण, भू (कृषि) सम्पत्ति, गृह-सम्पत्ति और उन पर भार, के संबंध में एक व्यापक विधायन था। इन समस्त विषयों के संबंध में विधि बनाने की संघ संसद् की क्षमता पर संदेह प्रकट किया गया था, क्योंकि इनमें से कुछ विषय, जिनके संबंध में संसद् ने यह विधि बनायी थी, भारत के संविधान की अनुसूची ७ की सूची २, अर्थात् राज्य-सूची की मद संख्या १८ तथा ३० के अन्तर्गत आते थे। तदनुसार इस राज्य के विधान मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक अधिनियम, १९५३ बनाया गया था, जिसके अनुसार संघ संसद् द्वारा बनायी गयी विधि इस राज्य की विधि के रूप में अंगीकृत की गयी थी।

२—संघ संसद ने फिर इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९६० बनाया है, जिसके द्वारा उक्त ऐक्ट की धारा ६ में एक नयी उपधारा (३) बढ़ा दी गयी है और उक्त ऐक्ट की धारा ७ की उपधारा (१) का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया गया है। नयी उपधारा (३) बढ़ा कर १९६० के अमेन्डमेंट ऐक्ट के प्रचलित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि की व्यवस्था की गयी है और केवल इसी अवधि में प्रार्थीगण धारा ६ के अधीन निष्क्रांत व्यक्तियों की सम्पत्ति में अपने हित को अलग करने के लिये सक्षम-अधिकारियों (competent officers) के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। धारा ७ की उप-धारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के निकाल दिये जाने से सक्षम अधिकारी को अब यह अधिकार न रहेगा कि वह धारा ७ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावे प्रस्तुत करने में होने वाले बिलम्ब को क्षमा करे। इन सब बातों की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिये की गयी है कि निष्क्रांत व्यक्तियों की सम्पत्ति में अन्य व्यक्तियों के दावों का निस्तारण शीघ्रतापूर्वक हो सके, जिससे कि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दे दिया जाय।

३—जिन कारणों से उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) पूरक अधिनियम, १९५३ बनाया गया था उन्हीं कारणों से वर्तमान विधेयक को विधि का स्वरूप देना आवश्यक है जिससे कि इस राज्य में इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९६० द्वारा इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१ में समाविष्ट उपबंधों की वैधता प्रवृत्ति तथा प्रचलन के संबंध में भी कोई संदेह न रह जाय।

४—यह विधि उसी दिनांक से प्रचलित करना अभिप्रेत है जब से भारत सरकार इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९६० को, उसकी धारा १ की उपधारा (२) के अधीन विज्ञप्ति जारी करके, प्रचलित करें।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

हुकुमसिंह विसेन,
न्याय मंत्री।

उ० प्र० यू० पी० ए० पी०—१८२ एल० ए०—१९६०—८४५।